सर्वहारा दृष्टिकोण

डिजिटल संस्करण
इंटरनेट के जरिये वितरण

सोशलिस्ट यूनिटी सेन्टर ऑफ इण्डिया (कम्युनिस्ट) SUCI (C) का मुखपत्र (पाक्षिक)

वर्ष-41 अंक 1 | 7 से 21 जनवरी 2026 | मुख्य संपादक: कॉमरेड प्रभास घोष | कुल पृष्ठ : 8 | मूल्य : 4 रुपये | पृष्ठ 1

रेल किराये में बार-बार बढ़ोतरी
एसयूसीआई (सी) ने की निंदा

कोलकाता: एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) के महासचिव कॉमरेड प्रभास घोष ने 22 दिसम्बर 2025 को जारी प्रेस बयान में कहा :

"भाजपा की केन्द्र सरकार ने 26 दिसम्बर 2025 से जनरल से लेकर एसी तक सभी श्रेणियों में मनमाने और एकतरफा ढंग से रेलवे किराया बढ़ा दिया है। रेल किराये में यह बढ़ोतरी इस साल दूसरी बार हुई है। यह बढ़ोतरी ज्यादा मैनपावर की मांग को पूरा करने के बहाने की गयी है। आज जबकि किराये में इस तरह समय-समय पर बढ़ोतरी एक रिवाज बन गया है, ट्रेन का सफर यात्रियों के लिए एक दुःस्वप्न बना हुआ है। हादसे बढ़ रहे हैं। ट्रेनों का समय पर चलना पुरानी बात हो गयी है। पटरियों के रखरखाव पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। शौचालयों की सफाई ठीक से नहीं हो रही है। प्लेटफॉर्म गंदे हैं। प्रतीक्षालय जीर्ण-शीर्ण हालत में हैं। खाना महंगा होने के बावजूद उसकी गुणवत्ता सही नहीं है। भ्रष्टाचार आम बात है और सबसे बढ़कर यात्रियों की सुरक्षा खतरे में है। यात्री सुविधाओं की इन गंभीर समस्याओं का हल किये बिना, सरकार की एकमात्र चिंता समय-समय पर किराये में बढ़ोतरी और यात्रियों को अधिक से अधिक निचोड़कर राजस्व में वृद्धि करना है। किराये में प्रस्तावित वृद्धि से रेलवे की आमदनी में 600 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी, जबकि ट्रेन यात्रियों की परेशानी जस की तस बनी रहेगी।

हम यात्री किराये में की गई इस बढ़ोतरी की कड़ी निंदा करते हैं और सभी से अपील करते हैं कि वे इसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करें और पूरी गंभीरता से यात्रियों की कमेटियां बनायें ताकि एक जोरदार आंदोलन खड़ा किया जा सके। यह आंदोलन न सिर्फ रेल किराये में आगे होने वाली बढ़ोतरी को रोकेगा, बल्कि ट्रेन यात्रा की मौजूदा लागत को भी कम करेगा तथा साथ ही सुरक्षा, समय की पाबंदी और उचित सुविधाओं की उपलब्धता भी सुनिश्चित करेगा।"

अरावली बचाओ, पारिस्थितिकी तंत्र बचाओ, मरुस्थलीकरण का प्रतिरोध करो—एआईकेकेएमएस

दिल्ली: भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गए हालिया फैसले पर ऑल इण्डिया किसान खेत मजदूर संगठन (एआईकेकेएमएस) के महासचिव कॉमरेड शंकर घोष ने 22 दिसम्बर को जारी बयान में कहा:

"हमारा दृढ़ मत है कि केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अनुशंसित और 20 दिसंबर, 2025 को सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ द्वारा स्वीकृत अरावली पहाड़ियों की यह परिभाषा भारत की इस सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला के लिए विनाशकारी साबित होगी। यह मरुस्थलीकरण के एकमात्र अवरोधक, जल पुनर्भरण क्षेत्रों, वन्यजीव आवासों और हमारे देश के विशाल क्षेत्रों, विशेष रूप से हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली के संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट कर देगी।

हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के उक्त फैसले को लेकर विशेषज्ञ बेहद चिंतित हैं। उनका मत है:

पहली बात यह है कि यह 100 मीटर की ऊंचाई पर आधारित अरावली पहाड़ियों की व्यक्तिपरक और अवैज्ञानिक परिभाषा को अपनाता है।

दूसरी, इससे अरावली पर्वतमाला का अधिकतम हिस्सा (कुछ लोगों के अनुसार 90 प्रतिशत) कानूनी संरक्षण से बाहर हो जाएगा। नतीजतन, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अंधाधुंध खनन गतिविधियों से इसका लाभ उठाएंगी।

तीसरी, इससे थार रेगिस्तान के मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया तेज हो जाएगी।

हमारा दृढ़ विश्वास है कि केंद्र की भाजपा सरकार का यह कदम पूरी तरह से जनविरोधी और कॉरपोरेट परस्त है। समाज के सभी तबकों के लोगों को एकजुट करके इसका विरोध किया जाना चाहिए। हजारों लोग पहले से ही सड़कों पर उतरकर सत्ताधारियों की इस घिनौनी साजिश का विरोध कर रहे हैं, जिसका एकमात्र मकसद जनहित को बलि देकर अपने पूंजीवादी आकाओं की सेवा करना है। हम इस संघर्षरत जनसमूह—किसानों, श्रमिकों, छात्रों, युवाओं, महिलाओं, बुद्धिजीवियों, वैज्ञानिकों और लोकतांत्रिक सोच वाले आम लोगों—को अपना पूरा समर्थन देते हैं।

हम सभी मेहनतकश जनता से आगे आने और आंदोलन को सफल बनाने के लिए हर संभव सहायता और समर्थन देने का आग्रह करते हैं।"

संकल्प रैली ने नारी शक्ति के उभार की ज्वलंत लौ को किया प्रज्वलित

कोलकाता (पश्चिम बंगाल):

धाराओं की तरह सरकते, बहते, चलते हुए,
ऊपर पहाड़ों से झरने की तरह गिरते हुए,
मैदानों में लहरों की तरह उमड़ते हुए,
मेहराबों के नीचे से शान से चलते हुए
संदेशवाहक आ रहे हैं
उत्तर से, दक्षिण से, पूर्व से, पश्चिम से,
पूरे देश से।

मानो सब कुछ थम गया है, सिवाय इस उमड़ते, बहते, गरजते जनसैलाब के। सारी बातें बंद हो गई हैं, सिवाय नारों के गूंजते इस समूह गान के। देखो, मेरे देश के लोगों! कैसा देखने लायक इतिहास का पल है: फहराते सफेद झंडों की लहर, सफेद टोपी और सफेद कपड़े पहने कूच करने वालों का जन सैलाब, महिलाओं की लाज को ठेस पहुंचाने की लगातार

(शेष पृष्ठ 6 पर)

कोलकाता: कॉलेज स्क्वायर पर विद्यासागर प्रतिमा परिसर में संकल्प रैली का समापन समारोह। 16 दिसम्बर

विबीजीरामजी विधेयक -
ग्रामीण लोगों के लिए रोजगार के अवसरों पर सुनियोजत हमला

हमारे देश में खेतमजदूरों समेत ग्रामीण मजदूरों के लिए काम और सही मजदूरी की कमी एक स्थायी समस्या है। देश की 65 प्रतिशत आबादी खेती-बाड़ी से जुड़ी है, जिसमें से 54 प्रतिशत खेतमजदूर या ग्रामीण मजदूर हैं। यानी करीब 50 करोड़ लोग ग्रामीण मजदूर हैं, जिन्हें बिना चिकित्सकीय इलाज के, आधे-अधूरे पेट भरकर या भूखे रहकर अपने दिन बिताने पड़ते हैं। वे मुख्य रूप से महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट (मनरेगा) के तहत 100 दिन के काम के हकदार हैं।

आम तौर पर खेतमजदूरों व ग्रामीण मजदूरों को साल में दो-तीन महीने से ज्यादा काम नहीं मिलता है। इस स्कीम की अलग-अलग सीमाओं, कमियों और भ्रष्टाचार के बावजूद, ग्रामीण मजदूरों को अब तक हर परिवार को 100 दिन का काम पाने का कानूनी हक था। हालांकि पिछले 5 सालों में औसतन 50-55 दिन ही काम मिला है। फिर, अगर आवेदन करने के बाद उन्हें काम नहीं मिल पाता था, तो एक तय रेट पर बेरोजगारी भत्ता पाने का उनका कानूनी हक सिर्फ कानून की किताबों में था। फिर भी काम को हक के तौर पर मांगने की ताकत थी।

लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार ने 16 दिसंबर को संसद में 'विबीजी-रामजी बिल-25' पेश किया, जो मनरेगा के तहत काम करने वाले ग्रामीण मजदूरों के कानूनी अधिकारों को खत्म कर देगा। यानी केंद्र की भाजपा सरकार अब देश के 50 करोड़ ग्रामीण मजदूरों के रोजगार की कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती।

नतीजतन, यह आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनकी हालत कितनी भयानक हो जाएगी। जैसे बाकी सभी मामलों में, जब कोई जनविरोधी बिल पेश होता है, तो उस बिल में बहुत-सी अच्छी बातें कही जाती हैं, इस बिल में भी कही गई हैं। लेकिन इन अच्छी बातों के पीछे हमले का असली मकसद छिपा है।

पहला, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट (नरेगा) में काम पाने का जो कानूनी अधिकार था, इस नए बिल ने उसे खत्म कर दिया है और काम मिलने की 'गारंटी' की बात की है। यानी, जैसे मनरेगा शुरू होने से पहले 2005 में 'ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम' शुरू की गई थी और देश के ज्यादातर हिस्सों में ग्रामीण मजदूरों को साल में 10 दिन से ज्यादा काम नहीं मिलता था, यह बिल असल में उसी मॉडल पर बनाया गया है और इसे बड़ी चालाकी से तोड़-मरोड़कर पेश किया गया है।

दूसरा, इस स्कीम से जुड़े फैसले लेने की सारी ताकत केंद्र सरकार को दे दी गई है, राज्य सरकार की भूमिका को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया है। यानी केंद्र सरकार तय करेगी कि हर वित्तीय वर्ष में किस राज्य को कितना काम दिया जाएगा। जैसे मनरेगा

(शेष पृष्ठ 6 पर)

बेलगाम शोषण को बढ़ावा देने के नए तरीके—चार लेबर कोड
एआईयूटीयूसी की अपील

दोस्तो, आप सब जानते हैं कि मजदूर-विरोधी, पूंजीपति परस्त चार लेबर कोड के खिलाफ हमारे देश की मजदूर यूनियनों द्वारा देशभर में लगातार चल रहे जन आंदोलन और कई मौकों पर देशव्यापी हड़तालों के बावजूद, केंद्र की भाजपा की मौजूदा सरकार ने मजदूरों द्वारा बड़े संघर्ष के बाद मुश्किल से बनाये गए 29 मौजूदा लेबर कानूनों को बदलकर महज देशी-विदेशी पूंजीपतियों के हित में 21 नवंबर 2025 से चार लेबर कोड लागू करने का एलान किया है। जैसा कि हम समझते हैं कि चार लेबर कोडों का लागू होना हमारे देश के मेहनतकशों की जिंदगी में ये बुनियादी और संरचनात्मक बदलाव लाने में पूंजीपतियों का काम करेगा।

1. 'फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट' यानी "एक तय समय के लिए लिखित अनुबंध के आधार पर किसी वर्कर को काम पर रखने" का प्रावधान औद्योगिक संबंध कोड 2020 के अनुच्छेद 2(ओ) के तहत रखा गया है। आगे चलकर यह न सिर्फ 'पक्की नौकरी' और 'जॉब सिक्योरिटी' की

(शेष पृष्ठ 2 पर)

काले लेबर कोड ...

(पृष्ठ 1 का शेष)

अवधारणा को खत्म कर देगा, बल्कि कंपनियों के मालिकों के हाथों में 'हायर एंड फायर' यानी मनमर्जी से काम पर लगाने और हटाने की नीति को बड़े पैमाने पर लागू करने का एक जरिया बन जाएगा।

2. औद्योगिक संबंध कोड 2020 का अनुच्छेद 62(1) सभी औद्योगिक कंपनियों में हड़ताल पर रोक लगाता है, जिसमें हड़ताल पर जाने से 14 दिन पहले 'हड़ताल का नोटिस' देने का प्रावधान शामिल है। अभी यह प्रावधान सिर्फ पब्लिक यूटिलिटी सेवाओं में लगी कंपनियों पर लागू है। अब सरकार ने आम तौर पर मजदूरों के हड़ताल करने के अधिकार पर रोक लगा दी है।

3. अब औद्योगिक प्रतिष्ठानों यानी किसी कारखाने, खदान और बागान के संबंध में, जिसमें पिछले 12 महीनों में प्रति कार्य दिवस औसतन 300 से कम श्रमिक कार्यरत थे, ले-ऑफ, छंटनी और तालाबंदी करने के लिए उपयुक्त सरकार की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। यह प्रावधान वर्तमान में 100 से कम श्रमिकों की सीमा के विपरीत है। यहां सरकार ने मालिकों को उनकी जरूरतों और इच्छाओं के अनुसार ले-ऑफ, छंटनी और तालाबंदी करने की खुली छूट दे दी है। वास्तव में, यह प्रावधान हमारे देश के ज्यादातर मजदूरों के जीवन और आजीविका को तबाह कर देगा। [धारा 77 (1) को आयकर संहिता 2020 की धारा 78, धारा 79 और धारा 80 के साथ पढ़ें।

4. 300 से कम श्रमिकों वाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों के संबंध में कोई प्रमाणित स्थायी आदेश नहीं होगा, जो उपस्थिति, छुट्टी, निलंबन, बर्खास्तगी आदि जैसे रोजगार संबंधी मामलों को विनियमित करता हो। इस सीमा को अभी के 100 से कम वर्करों से बढ़ाकर 300 वर्कर कर दिया गया है। ऑटोमेशन और दूसरे कारकों की वजह से, चूंकि 85% से ज्यादा जगहों पर 300 से कम वर्कर काम करते हैं, इसलिए बहुत सारे वर्कर प्रमाणित स्थायी आदेश (सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर) की कवरेज से बाहर रह जाएंगे और इस तरह अपने मालिकों की मनमानी का शिकार हो जाएंगे। [औद्योगिक कोड 2020 का अनुच्छेद 28(1)]।

5. न्यूनतम वेतन के प्रावधान के अलावा पहली बार कानून में 'फ्लोर वेज' का प्रावधान रखा गया है। फ्लोर वेज का मौजूदा रेट 178 रुपये है, जो किसी भी खास कैटेगरी के रोजगार के लिए तय न्यूनतम वेतन की दर से बहुत कम है। ऐसा लगता है कि सरकार अब किसी और कैटेगरी के रोजगार को न्यूनतम वेतन की कवरेज में नहीं लाना चाहती है। इसलिए न्यूनतम वेतन के प्रावधान के तहत नहीं आने वाली जगहों के मालिकों को फायदा पहुंचाने के लिए 'फ्लोर वेज' की थोड़ी-सी रकम का प्रावधान शुरू किया गया है। [अनुच्छेद 9, मजदूरी संबंधी कोड 2019]

वर्तमान में नियोक्ताओं को बारहमासी प्रकृति की नौकरी में अनुबंध यानी ठेके पर मजदूरों को नियुक्त करने की अनुमति नहीं है। श्रम संहिता ने इस प्रावधान का उल्लंघन किया है और नियोक्ताओं को 'मुख्य गतिविधियों' में अनुबंध श्रमिकों को नियुक्त करने की अनुमति दी है, जिसका मायने है ''कोई भी गतिविधि, जिसके लिए प्रतिष्ठान स्थापित किया गया है और इसमें वह हर गतिविधि शामिल है, जो ऐसी गतिविधि के लिए आवश्यक या अनिवार्य है।'' यहां 'मुख्य गतिविधि' का मायने 'बारामासी प्रकृति की नौकरी' के समान ही है। यह वास्तव में पूरी तरह से ठेकेदारी प्रथा की ओर एक कदम है। [सुरक्षा, स्वास्थ्य, काम करने की स्थिति संबंधी कोड 2020 का अनुच्छेद 2 (पी) और अनुच्छेद 57]

7. अनुच्छेद 2(डब्ल्यू) के अनुसार, किसी कारखाने में काम करने के लिए मजदूरों की आवश्यक न्यूनतम संख्या को वर्तमान में 10 या 20 के बजाय, जहां काम बिजली की सहायता से या उसके बिना किया जाता है, बढ़ाकर क्रमशः 20 या 40 कर दिया गया है। यह प्रावधान बड़ी संख्या में मजदूरों को सुरक्षा, स्वास्थ्य, काम करने की स्थिति आदि के सभी वैध लाभों से वंचित कर देगा।

8. अनुबंध श्रम से संबंधित प्रावधान वर्तमान में लागू अधिनियम के अनुसार 20 या अधिक अनुबंध मजदूरों के बजाय पिछले बारह महीनों के किसी भी दिन 50 या अधिक अनुबंध मजदूरों को नियुक्त करने वाले प्रतिष्ठानों या ठेकेदारों पर लागू होंगे। इस प्रकार बड़ी संख्या में अनुबंध मजदूर किसी भी कानूनी सुरक्षा के दायरे से बाहर रहेंगे और इस प्रकार निर्मम शोषण के शिकार होंगे। [अनुच्छेद 45(1) सुरक्षा, स्वास्थ्य, काम करने की स्थिति संबंधी कोड 2020]।

9. लेबर कोड में निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता की नियुक्ति के प्रावधान हैं। वर्तमान दिनों के एलईओ द्वारा कानूनों के विभिन्न प्रावधानों के अनुपालन की जांच के लिए प्रतिष्ठानों के भौतिक निरीक्षण की मौजूदा प्रणाली के विपरीत, कोड ने वेब आधारित निरीक्षण और नियोक्ताओं से इलेक्ट्रॉनिक रूप से जानकारी मांगने पर जोर दिया है। यह नियम मजदूरों के हितों के साथ पूरी तरह से धोखा करेगा, लेकिन मालिकों के नियमों के उल्लंघन को दबाकर और कुछ ही मामलों में केस को सीमित करके 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' (कारोबार को सुगम बनाने) को आसान बनायेगा। [अनुच्छेद 51- मजदूरी संबंधी कोड 2019. अनुच्छेद 122, सामाजिक सुरक्षा संबंधी कोड, अनुच्छेद 34, सुरक्षा, स्वास्थ्य, काम करने की स्थिति संबंधी कोड 2020]।

10. अभी ठेका मजदूरों को ग्रेच्युटी नहीं दी जाती है। लेकिन सामाजिक सुरक्षा कोड 2020 के अनुच्छेद 2(26) ने 'एम्प्लॉई' शब्द की परिभाषा में ठेका मजदूरों को शामिल किया है। इसलिए ठेका मजदूर अब ग्रेच्युटी के हकदार हैं। लेकिन कोड में इस बारे में साफ तौर पर कुछ नहीं कहा गया है।

11. 'गिग वर्कर' और 'प्लेटफॉर्म वर्कर' की अवधारणाएं पहली बार हमारे श्रम कानूनों में सामाजिक सुरक्षा कोड 2020 के अनुच्छेद 2(35) और अनुच्छेद 2(60) के तहत रखी गई हैं। जैसा कि कोड में कहा गया है, यह उन व्यक्तियों को संदर्भित करता है, जो कार्य व्यवस्था में प्रवेश करते हैं या मांग पर विशिष्ट सेवा प्रदान करने और पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी संबंध के बाहर वहां से कमाई करने के लिए अन्य संगठनों, व्यक्तियों आदि तक पहुंचने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं। इस प्रकार उन्हें श्रम संहिताओं में परिभाषित 'श्रमिक' की स्थिति से वंचित किया गया है। यहां न तो राज्य और न ही गिग/प्लेटफॉर्म मालिक कोई जिम्मेदारी लेंगे और श्रमिक गिग या प्लेटफॉर्म मालिकों के बेलगाम शोषण के अधीन होंगे।

12. हालांकि यह सुरक्षा, स्वास्थ्य, काम करने की स्थिति संबंधी कोड 2020 में निर्दिष्ट किया गया है कि गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों सहित असंगठित क्षेत्र के मजदूों के लिए अंशदायी सामाजिक सुरक्षा योजना तैयार की जाएगी।

13. मौजूदा लेबर कानूनों के उलट, लेबर कोड ने पहली बार किये गए कई अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है, जिनमें या तो जुर्माना या जुर्माना और जेल दोनों की सजा हो सकती है। ऐसा सिर्फ आरोपी मालिकों को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। [अनुच्छेद 56(1) - मजदूरी संबंधी कोड 2019 अनुच्छेद 89(1)- औद्यौगिक संबंध संबंधी कोड 2020 अनुच्छेद 138(1)- सामाजिक सुरक्षा संबंधी कोड 2020 अनुच्छेद 114(1) - सुरक्षा, स्वास्थ्य, काम करने की स्थिति संबंधी कोड 2020]

14. 'गैर-कानूनी हड़ताल' के मामले में औद्योगिक संबंध संबंधी कोड 2020 ने भारी जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है, जो असल में, जायज मांगों पर मजदूरों के आंदोलन को रोकने वाला है। यह ध्यान में रखना चाहिए कि जो जायज है, वह सभी हालात में कानूनी नहीं भी हो सकता है। [औद्योगिक संबंध कोड 2020 के अनुच्छेद 86(5), (13),(15),(16)]

दोस्तो, आप सभी जानते हैं कि केंद्र सरकार ने लेबर कोडों के पक्ष में प्रचार-प्रोपेगैंडा का सहारा लिया है, जो असली सच्चाई को नहीं दिखाता है। यहां दो बातों पर ध्यान देने की जरूरत है:- क) ग्रेच्युटी के भुगतान के बारे में-"ग्रेच्युटी किसी कर्मचारी को उसकी नौकरी खत्म होने पर मिलेगी, जब उसने कम से कम पांच साल तक लगातार सर्विस की हो। .. आगे यह भी कहा गया है कि पांच साल की लगातार सर्विस पूरी करना जरूरी नहीं होगा, जहां किसी कर्मचारी की नौकरी मौत, विकलांगता या फिक्स्ड टर्म नौकरी खत्म होने की वजह से खत्म होती है। ... यह भी कहा गया है कि फिक्स्ड टर्म नौकरी पर रखे गए कर्मचारी या मृतक कर्मचारी के मामले में एम्प्लॉयर प्रो-राटा बेसिस पर ग्रेच्युटी देगा।" [सामाजिक सुरक्षा कोड 2020 का अनुच्छेद 53(1) और अनुच्छेद 53(2)]। इसलिए एक साल की लगातार सर्विस पूरी होने के बाद नौकरी खत्म होने पर ग्रेच्युटी के भुगतान के बारे में कोई भी प्रचार-प्रोपेगैंडा सिर्फ कर्मचारियों को धोखा देने के लिए है। हालांकि केवल मृत्यु या 'फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट' के मामले में यह लागू हो सकता है।

ख) न्यूनतम मजदूरी के भुगतान के संबंध में, मजदूरी संबंधी कोड, 2019 के अनुच्छेद 5 में कहा गया है, "कोई भी नियोक्ता किसी कामगार को उचित सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम दर से कम मजदूरी का भुगतान नहीं करेगा"। क्या यह दर्शाता है कि प्रत्येक कर्मचारी को न्यूनतम दर से मजदूरी मिलेगी? वर्तमान में यही प्रावधान प्रचलन में है। क्या हकदार श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी मिल रही है? यहां कानून प्रवर्तन तंत्र एक महत्वपूर्ण कारक है, जिसे सरकार ने काफी हद तक खत्म कर दिया है। चार लेबर कोडों को मूल रूप से बड़े पैमाने पर निजीकरण और व्यापार प्रक्रिया परिवर्तन की मौजूदा व्यवस्था की जरूरतों के अनुरूप बनाया गया है, जो मजदूर वर्ग के हितों की पूरी तरह से अनदेखी करता है। यह न सिर्फ सामूहिक सौदेबाजी (कलेक्टिव बारगेनिंग) की प्रक्रिया में रुकावटें पैदा करेगा, बल्कि बड़े पैमाने पर गिग और प्लेटफॉर्म काम, फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट और पूरी तरह से ठेकेदारीकरण शुरू करके सिर्फ राजकीय पूंजी और निजी पूंजी दोनों के फायदे में 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' पक्का करने के लिए और कंपनियों के मालिकों द्वारा मजदूर वर्ग के बेरोकटोक शोषण का रास्ता बनाने के लिए पहले से ही बहुत ज्यादा अनौपचारिक क्षेत्र वाली अर्थव्यवस्था में अनौपचारिक क्षेत्र को और भी बढ़ावा देगा।

हार्दिक शुभकामनाओं के साथ,

के. राधाकृष्ण शंकर दासगुप्ता
अध्यक्ष महासचिव

अखिल भारतीय कमेटी

ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर

(एआईयूटीयूसी)

आंगनबाड़ी विभाग में बड़े पैमाने पर फैले भ्रष्टाचार का विरोध

रोहतक (हरियाणा): एआईयूटीयूसी से संबद्ध आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका यूनियन हरियाणा की महासचिव पुष्पा दलाल ने 24 दिसम्बर को जारी प्रेस बयान में कहा कि आंगनबाड़ी विभाग में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार फैला हुआ है। अभी हाल में ही आंगनबाड़ी की वर्करों से ऑडिट करने के नाम से 5000 रुपये मांगे जा रहे हैं। अगर यह रकम अदा नहीं की गयी, तो आँगनबाड़ी वर्करों को ऑडिट के नाम से ही फंसाने का डर दिखाया जा रहा है। पिछले साल भी 1000 रुपये प्रति आंगनबाड़ी कर्मी मांगे गये थे। तब इसका विरोध होने की वजह से यह भ्रष्टाचार नहीं हो सका था।

इस तरह से विभाग के कुछ अधिकारियों की तरफ से डराया जा रहा है। यूनियन ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की कड़ी निंदा करते हुए मांग करती हैं कि इनका पता लगाकर इन पर कार्रवाई की जाये। वरना यूनियन इसके लिए प्रांत में एक व्यापक आंदोलन छेड़ने पर मजबूर होगी। पहले ही महंगाई की मार से गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। आंगनबाड़ी कर्मियों को न्यूनतम वेतन के बराबर भी मानदेय नहीं मिलता है। उन पर काम का बोझ लगातार बढ़ाया जा रहा है। ऊपर से यह भ्रष्टाचार की मार का भय भी बना रहता है।

उन्होंने कहा कि इससे आंगनबाड़ी कर्मियों में आक्रोश फैल रहा है।

अपनी ज्वलंत मांगों को लेकर एनआरएमएल बिहान सक्रिय महिला संघ ने धरना-प्रदर्शन कर सौंपे ज्ञापन

दुर्ग (छत्तीसगढ़): स्कीम वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया एवं एआईयूटीयूसी से संबद्ध एनआरएलएम बिहान सक्रिय महिला संघ की ओर से अपनी ज्वलंत मांगों पर 29, 30 व 31 दिसंबर तीन दिवसीय धरना-प्रदर्शन के अंतर्गत अंतागढ़ जिला कांकेर, दुर्गु कोंदल जिला कांकेर, पखांजूर जिला कांकेर, गुंडरदेही जिला बालोद, जिला मुंगेली का ब्लॉक, कोटा जिला बिलासपुर, ब्लॉक मुंगेली जिला मुंगेली आदि कुछ जिलों के कुछ ब्लॉकों में धरना-प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया गया।

उच्च शिक्षा विनाश के कगार पर

ऑक्टोपस नामक एक समुद्री जीव अपने शिकार को अपनी आठ भुजाओं से कसकर पकड़ता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी-2020 (एनईपी'20) की तुलना रूपक के तौर पर इस जीव से की जा सकती है, क्योंकि यह नीति शिक्षा के सभी क्षेत्रों पर हमले कर रही है ताकि शिक्षा को एक बाजारू चीज बनाया जा सके। पिछले अंकों में हमने स्कूल स्तर पर इसके गंभीर परिणामों और शिक्षा के व्यापारीकरण के खतरनाक प्रभाव के बारे में बात की है। प्राथमिक स्तर पर सबसे बड़ा झटका देने के बाद, एनईपी-2020 के निर्माताओं ने उच्च शिक्षा को भी नहीं बख्शा, बल्कि उन्होंने इसे खत्म करने के नए तरीके ईजाद किये। आइए, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क (NCrF) से शुरू करें।

क्या है नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क (NCrF)?

नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क (NCrF) का प्रस्ताव एनईपी-2020 द्वारा दिया गया है, जिसमें सभी प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान शामिल होंगे। सभी केंद्रीय और राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड, केंद्रीय और राज्य ओपन स्कूल शिक्षा बोर्ड, विश्वविद्यालयों और स्वायत्त कॉलेजों को इस नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क का पालन करना होगा। यह शिक्षा के समय-परीक्षित वैज्ञानिक तरीके को पूरी तरह से बदल देगा। पहले, अकादमिक शिक्षा और एक सीमित दायरे में व्यावसायिक शिक्षा थी। फिर, इन दोनों प्रकार की शिक्षाओं को मिलाने का कोई तरीका नहीं था और न ही यह वैज्ञानिक रूप से सही है। लेकिन नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के अनुसार, छात्र अकादमिक, व्यावसायिक और अनुभवात्मक पाठ्यक्रमों से क्रेडिट पॉइंट अर्जित कर सकते हैं। व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली दीर्घकालिक और अल्पकालिक पेशेवर या व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रदान करेगी। छात्र इन व्यावसायिक पाठ्यक्रमों से अतिरिक्त क्रेडिट पॉइंट अर्जित कर सकते हैं। एक छात्र उन विषयों में किसी भी पिछले ज्ञान के बिना अपने क्रेडिट को अकादमिक पाठ्यक्रमों में आसानी से ट्रांसफर कर सकता है। भले ही कोई छात्र दो साल का आईटीआई कोर्स पूरा करता है और 80 क्रेडिट पॉइंट (40+40) अर्जित करता है, वह UG-1 को छोड़कर सीधे UG-2 में एडमिशन ले सकता है। यह अकादमिक और व्यावसायिक शिक्षा का मिश्रण है और शिक्षा के व्यवसायीकरण को बढ़ावा देना है। नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क ने अनुभवात्मक शिक्षा प्रणाली भी शुरू की है। फ्रेमवर्क ने कहा है कि एक छात्र एक व्यावसायिक कंपनी में काम करते हुए अपने अनुभव और क्षमता से चार स्तरों (प्रशिक्षित, कुशल, विशेषज्ञ और मास्टर) पर क्रेडिट पॉइंट अर्जित कर सकता है। ऐसी कंपनियों के साथ सहयोग करने वाले शैक्षणिक संस्थान क्रेडिट पॉइंट प्रदान करेंगे। उदाहरण के लिए, एक मोटर मैकेनिक वर्कशॉप में काम करते हुए चार लेवल पूरे करने पर क्रेडिट पॉइंट कमा सकता है। एक छात्र इनफॉर्मल लर्निंग, नॉन-फॉर्मल लर्निंग और यहां तक कि एनजीओ गतिविधियों के जरिये अनुभवात्मक लर्निंग से क्रेडिट पॉइंट हासिल कर सकता है। इन क्रेडिट पॉइंटों को अकादमिक या वोकेशनल स्ट्रीम में भी ट्रांसफर किया जा सकता है। इसलिए यह आसानी से समझा जा सकता है कि शिक्षा का मकसद पूरी तरह से एक ऐसी पीढ़ी को ट्रेनिंग देने के लक्ष्य में बदल जाएगा, जो कॉर्पोरेटों की सेवा करेगी।

एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट

एनईपी-2020 के अनुसार स्कूल लेवल से लेकर पीएचडी लेवल तक छात्र द्वारा हासिल किये गए क्रेडिट 'एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट' (ABC) में सुरक्षित रखे जाएंगे और उसके पूरे करियर में मान्य रहेंगे। इस देश के हर छात्र को यह अकाउंट खोलना होगा। यह एक बैंक अकाउंट जैसा होगा। फर्क सिर्फ इतना है कि 'एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट' से कोई क्रेडिट डिलीट या निकाला नहीं जाएगा। छात्र अपने एजुकेशनल करियर में कभी भी अपनी स्ट्रीम या डिसिप्लिन के साथ-साथ अपना संस्थान भी बदल सकता है। वहां हासिल किए गए क्रेडिट 'एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट' में जमा हो जाएंगे। अमेरिका या यूरोपीय देशों जैसे विकसित पूंजीवादी देशों ने पहले ही यह क्रेडिट-बैंक सिस्टम शुरू कर दिया है। यह मार्केट इकोनॉमी का पूरक है, जो शिक्षा को एक मुनाफा कमाने का बिकाऊ माल मानता है। छात्र द्वारा कमाये गए क्रेडिट का इस्तेमाल किसी भी शिक्षा बाजार में किया जा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे एक उपभोक्ता दुनिया में कहीं भी किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में अपना क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करता है। तब, यह 'एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट' शिक्षा की खरीद-बेच में मदद करने के लिए है। कोई छात्र लाखों रुपये देकर अपने क्रेडिट पॉइंट्स किसी भी विदेशी संस्थान में ट्रांसफर कर सकता है।

जब अमेरिका जैसे देश में भी यह तरीका अभी तक पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है, तो भारत जैसे बड़े देश में इसे कैसे लागू करना संभव है, जहां कई बोर्ड हैं, शेड्यूल में तालमेल नहीं है, रिजल्ट प्रकाशित होने में देरी होती है, सेमेस्टर ओवरलैप होते हैं और कई मामलों में भ्रष्ट प्रशासन है? हम यह उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि करोड़ों छात्रों के क्रेडिट दशकों तक 'एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट' में ठीक से दर्ज किये जाएंगे?

दूसरा, एनईपी-2020 के अनुसार किसी छात्र का एकमात्र मकसद क्रेडिट कमाना होगा। हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया था कि शिक्षा ज्ञान हासिल करने का एक साधन है। नवजागरण ने इस बात पर जोर दिया कि शिक्षा का लक्ष्य इन्सान बनाना और चरित्र निर्माण करना होना चाहिए। लेकिन पूंजीवाद ने अन्य सभी मानवीय सृजनात्मकताओं की तरह इसे कुछ क्रेडिट हासिल करने के तरीके में बदल दिया।

तीसरा, हम सभी अपने स्कूल के परीक्षा परिणाम भूल गए हैं। कुछ परीक्षाओं में हमने अच्छा प्रदर्शन किया। कुछ अन्य में हम संतोषजनक अंक प्राप्त नहीं कर पाये। लेकिन 'एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट' हमारी परफॉर्मेंस का हर डिटेल प्राथमिक से लेकर शिक्षा के उच्चतम स्तर तक दर्ज करेगा। हममें से कितने लोग अपने पूरे शैक्षणिक करियर की ऐसी रिकॉर्डिंग चाहते थे?

टीचिंग घंटों के आधार पर क्रेडिट

नई नीति पूरी तरह से क्रेडिट सिस्टम पर आधारित है। लेकिन ''क्रेडिट'' की परिभाषा क्या है? इसका मूल्यांकन कैसे किया जाएगा? क्रेडिट पॉइंट किसी छात्र के एक खास समयावधि में हासिल किये गए थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज से तय नहीं होंगे। बल्कि, इनकी गणना इस बात पर की जाएगी कि छात्र ने पढ़ाई के विभिन्न स्तरों पर कितने शैक्षणिक घंटे बिताये हैं। उदाहरण के लिए, प्री-प्राइमरी लेवल से दूसरी कक्षा तक (कुल 5 साल) एक छात्र को हर साल 800 लर्निंग घंटे पूरे करने होंगे और हर साल 27 क्रेडिट मिलेंगे। इसी तरह, तीसरी कक्षा से पांचवीं कक्षा तक, हर साल 1000 लर्निंग घंटे और 33 क्रेडिट मिलेंगे और छठी कक्षा से पीएचडी लेवल तक, हर साल 1200 लर्निंग घंटे पूरे करने पर 40 क्रेडिट/साल मिलेंगे।

बहरहाल, यह लर्निंग घंटों की कहानी है। संस्थानों में जाएं, कक्षा में जाएं, कुछ प्रयोगात्मक काम करें, क्षेत्र सर्वेक्षण करें, सेमिनार में भाग लें और परीक्षा में बैठें, आपको क्रेडिट पॉइंट मिल जाएंगे। आपकी परफॉर्मेंस का कोई मूल्य नहीं है। क्रेडिट पॉइंट लर्निंग घंटों के हिसाब से हैं, न कि छात्र के ज्ञान के मूल्यांकन से।

मल्टीपल एंट्री और एग्जिट गेट

एनईपी-2020 ने शिक्षा के सभी स्तरों पर 'मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम' का सुझाव दिया है और इसे लागू भी किया है। इसका मतलब है कि छात्र शिक्षा के किसी भी स्तर पर अपना संस्थान बदल सकता है। मौजूदा सिस्टम में जरूरत पड़ने पर माइग्रेशन का प्रावधान है। तो फिर ऐसे मल्टीपल एंट्री और एग्जिट गेट का क्या मकसद है? इसका मकसद छात्र को कई शिक्षा बेचने वालों का कस्टमर बनाना है। यह सिस्टम छात्रों को अपने संस्थान बदलने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह तरीका शिक्षा के बिजनेस को तो बढ़ा सकता है, लेकिन सदियों पुराने छात्र-शिक्षक के रिश्ते को खत्म कर देगा और उसकी जगह कस्टमर-प्रोवाइडर का रिश्ता ले लेगा। क्या यह बिल्कुल भी सही है?

चॉइस-बेस्ड क्रेडिट सिस्टम (CBCS)

एनईपी-2020 के लागू होने से बहुत पहले, शिक्षा मंत्रालय चॉइस-बेस्ड क्रेडिट सिस्टम (सीबीसीएस) की वकालत कर रहा था। यह एक मल्टी-डिसिप्लिनरी सिस्टम है। जब नवजागरण के बाद आधुनिक शिक्षा प्रणाली विकसित हुई, तो यूरोप और भारत दोनों में कुछ खास डिसिप्लिन या स्ट्रीम को फॉलो किया गया। ये हैं: साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, विजुअल आर्ट्स, इंजीनियरिंग और टेक्निकल शिक्षा, कानून और मेडिकल साइंस। एक खास डिसिप्लिन कुछ संबंधित विषयों के कॉम्बिनेशन से बनता है। वे न केवल एक-दूसरे पर निर्भर हैं, बल्कि व्यापक ज्ञान भी प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, साइंस का डिसिप्लिन भौतिकी, रसायनशास्त्र, गणित आदि से बनता है। ह्यूमैनिटीज का इतिहास, राजनीति विज्ञान, दर्शनशास्त्र आदि से बनता है। अगर मल्टी-डिसिप्लिनरी सिस्टम लागू किया जाता है, तो छात्र किसी भी डिसिप्लिन से विषय लेकर क्रेडिट पॉइंट कमा सकता है। लेकिन इसकी क्या जरूरत है? क्या राजनीति विज्ञान का ज्ञान भौतिकी के विद्यार्थी की मदद करेगा? या, क्या रसायनशास्त्र का अध्ययन इतिहास के विद्यार्थी की मदद करेगा? निश्चित रूप से नहीं। शैक्षणिक संस्थान कोई किराने की दुकान नहीं है।

ऑनलाइन या ब्लेंडिंग मोड को बढ़ावा

एनईपी-2020 ने शिक्षा का मोड बदलने का विकल्प दिया है। जो छात्र अभी ऑफलाइन मोड (क्लास रूम शिक्षा) में पढ़ रहा है, वह अगले साल अपनी पढ़ाई ऑनलाइन मोड या ODL (ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग) या ब्लेंडिंग मोड (ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड) में जारी रख सकता है। यह किसी विषय को ठीक से समझने के लिए नुकसानदायक है।

चार-वर्षीय अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम (FYUGP)

एनईपी-2020 ने पारंपरिक तीन-वर्षीय डिग्री कोर्स की जगह चार-वर्षीय अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम (FYUGP) शुरू किया है। लेकिन चार साल के डिग्री कोर्स की जरूरत के बारे में न तो एनईपी-2020 ने स्पष्ट किया है और न ही शिक्षा मंत्रालय ने। यह नीति बिना अधिसंरचना (इंफ्रास्ट्रक्चर) विकसित किये पूरे देश में जल्दबाजी में लागू की गई है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी पहले से ही नियमित शिक्षकों की कमी, क्लासरूम की कमी, पुस्तकालयों और प्रयोगशालाओं की सुविधाओं की कमी से जूझ रहे हैं। इसलिए अंडरग्रेजुएट लेवल पर एक अतिरिक्त साल ज्यादातर संस्थानों पर बोझ बन गया है।

UG-1 से UG-4 तक छात्र को हर साल 40 क्रेडिट (प्लस वोकेशनल कोर्स से 4 क्रेडिट) पूरे करने होंगे। अगर कोई छात्र UG-1 के बाद पढ़ाई छोड़ देता है, तो उसे अंडरग्रेजुएट सर्टिफिकेट मिलेगा। UG-2 के बाद उसे अंडरग्रेजुएट डिप्लोमा दिया जाएगा। अगर छात्र इस लेवल के बाद पढ़ाई छोड़ देता है, तो वह 3 साल के अंदर किसी भी कॉलेज/संस्थान में दोबारा दाखिला ले सकता है और उसे चार साल का डिग्री कोर्स ज्यादा से ज्यादा 7 साल में पूरा करना होगा। इसी तरह, UG-3 के बाद छात्र को स्नातक डिग्री मिलेगी और आखिर में अगर कोई छात्र कुल 160-176 क्रेडिट हासिल करता है, तो उसे UG-4 के बाद 'ऑनर्स/रिसर्च सहित स्नातक डिग्री' दी जाएगी। अगर कोई छात्र UG-4 में शोध कार्य (रिसर्च वर्क) करता है, तो उसे 12 क्रेडिट पॉइंट मिलेंगे। लेकिन ऑनर्स के छात्र जो रिसर्च नहीं कर रहे हैं, वे रिसर्च प्रोजेक्ट/डिजर्टेशन के बदले 12 क्रेडिट के लिए 3 कोर्स करेंगे। इसलिए जो छात्र रिसर्च प्रोजेक्ट ले रहा है, वह उन थ्योरी पेपरों को छोड़ देगा। अत: यह साफ है कि ऑनर्स/रिसर्च सहित स्नातक डिग्री पाने वाले छात्र को थ्योरी का कम ज्ञान दिया जाएगा! वाह, क्या सिस्टम है!

इसके अलावा, अगर किसी छात्र को ऑनर्स/रिसर्च सहित स्नातक डिग्री मिलती है और उसे 75% अंक मिलते हैं, तो वह सीधे पीएचडी के लिए योग्य पात्र होगा। उसके लिए एक साल के मास्टर कोर्स की जरूरत नहीं होगी। जब तक कि उसे पीएचडी के लिए योग्य पात्र होने के लिए एक साल का मास्टर कोर्स पूरा न करना पड़े।

क्या अजीब नीति है! अत:, कोई छात्र मास्टर डिग्री किये बिना पीएचडी कोर्स के लिए योग्य पात्र है! एनईपी-2020 के समर्थक कहेंगे: वे क्वालिफाइड हैं। उन्होंने UG-4 के दौरान रिसर्च प्रोजेक्ट किये हैं। लेकिन कितने कॉलेजों के पास सभी विषयों में रिसर्च वर्क करने के लिए सही इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च गाइड और दूसरी जरूरी व्यवस्थाएं हैं? निश्चित रूप से बहुत कम। निजी संस्थान तो इस बड़े मौके का इंतजार कर रहे हैं। वे शानदार फीस ढांचे के साथ छात्रों का स्वागत करेंगे।

सेमेस्टर सिस्टम की सच्चाई

एनईपी-2020 की गाइडलाइंस के बाद, शिक्षा विभाग ने 90 दिन का सेमेस्टर सिस्टम

(शेष पृष्ठ 7 पर)

एआईडीएसओ स्थापना दिवस पर परिचर्चा व जुलूस

पटना (बिहार) :ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन (एआईडीएसओ) के 72वें स्थापना दिवस के अवसर पर 28 दिसम्बर को यहां नाला रोड स्थित संगठन के राज्य कार्यालय में झंडोत्तोलन, परिचर्चा एवं जुलूस का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम की शुरुआत संगठन के झंडोत्तोलन से हुई। इसके बाद संगठन की पटना महानगर अध्यक्ष कॉमरेड शिमला मौर्या की अध्यक्षता में आयोजित परिचर्चा में अपने संबोधन में संगठन के राज्य अध्यक्ष कॉमरेड विजय कुमार ने कहा कि आज सार्वजनिक शिक्षा पर केंद्रीकरण और निजीकरण का गंभीर हमला हो रहा है। उन्होंने एचईसीआई जैसे प्रस्तावों को शिक्षा के लोकतांत्रिक चरित्र के लिए खतरा बताते हुए इसके खिलाफ जोरदार छात्र आंदोलन खड़ा करने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा, उन्नाव की पीड़िता को न्याय और अरावली क्षेत्र को कॉरपोरेट लूट से बचाने की जरूरत पर बल दिया।

पटना: दिनकर गोलम्बर पर जुलूस निकालते हुए एआईडीएसओ कार्यकर्ता

संगठन के राज्य परिषद के कोषाध्यक्ष कॉमरेड आदित्य कुमार ने कहा कि एआईडीएसओ अपने स्थापना काल से ही धर्मनिरपेक्ष, वैज्ञानिक एवं जनवादी शिक्षा की मांग पर संघर्षरत रहा है और आने वाले दिनों में इस संघर्ष को और तेज किया जाएगा।

परिचर्चा के बाद संगठन के नाला रोड स्थित कार्यालय से दिनकर गोलंबर तक एक जुलूस निकाला गया, जिसमें छात्रों ने शिक्षा, महिला सुरक्षा व पर्यावरण संरक्षण से जुड़े मुद्दों पर नारे लगाये।

काकोरी के अमर शहीदों को दी श्रद्धांजलि

पालीगंज (पटना)/सरमेरा (नालंदा) : 18 दिसंबर को सरमेरा ग्राम में और 21 दिसंबर को करहारा, पालीगंज, पटना में भारतीय आजादी आंदोलन की गैर समझौतावादी धारा के महान शहीदों रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को उनकी तस्वीरों पर फूलमालाएं चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी गई। काकोरी एक्शन के शहीदों की याद में सरमेरा में आयोजित सभा की अध्यक्षता एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) के नालंदा जिला प्रभारी कॉमरेड राजकिशोर प्रसाद सिंह ने की। करहरा में आयोजित सभा की अध्यक्षता कॉमरेड कपिलदेव प्रसाद ने की।

दोनों जगह श्रद्धांजलि सभाओं को पार्टी के बिहार राज्य कमेटी सदस्य कॉमरेड सूर्यकर जितेन्द्र ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि काकोरी एक्शन के शहीदों को याद करना वक्त की मांग है। उन्होंने कहा कि आजादी आंदोलन में एक तरफ रामप्रसाद बिस्मिल आर्य समाजी थे और दूसरी तरफ अशफाक उल्ला खां मुसलमान। दोनों की दोस्ती बेमिसाल है। आज ऐसी दोस्ती कायम करना समय की मांग है। दूसरी तरफ इन शहीदों का सपना था आजाद भारत में कोई भूख से नहीं मरेगा, कोई अशिक्षित नहीं रहेगा, बेरोजगार नहीं रहेगा, बेइलाज मौतें नहीं होंगी और मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण नहीं होगा। लेकिन आजादी के 78 साल बाद भी ये समस्याएं विकराल रूप में हमारे सामने हैं। अगर इनसे मुक्ति पाना है, तो शहीदों की परंपरा को आगे बढ़ाना होगा।

करहरा में आयोजित सभा को संबोधित करने वालों में एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) के पटना ग्रामीण जिला सचिव अनामिका कुमारी, हरिकिशोर सिंह, नागेश्वर मिस्त्री, देवनारायण सिंह, सुरेंद्र मिस्त्री, देवंती कुमारी, विश्वनाथ प्रसाद वर्मा, सत्येन्द्र प्रसाद, राज कुमार पंडित, शशिकांत पंडित, सोनी कुमारी, पूनम कुमारी, रीना कुमारी आदि कॉमरेड प्रमुख थे।

कार्यक्रम में देशभक्ति गीत की भी प्रस्तुति हुई।

भिवानी(हरियाणा) : आजादी आंदोलन की गैर समझौतावादी धारा के महान क्रांतिकारी और काकोरी एक्शन के शहीद रामप्रसाद बिस्मिल अशफाकउल्ला खाँ, राजेन्द्रनाथ लाहिड़ी व रोशन सिंह के 98वें शहादत दिवस पर ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन (एआईडीवाईओ) और शहीद व महापुरुष यादगार कमेटी, भिवानी के संयुक्त बैनर तले 17 दिसम्बर को तोशाम के शहीद पार्क में और 19 दिसम्बर को भिवानी के नेहरू पार्क में इन महान क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि देते हुए स्मृति सभा का आयोजन किया गया। तोशाम में स्मृति सभा की अध्यक्षता धर्मवीर सिंह कानूनगो ने की, जबकि भिवानी में शहीद व महापुरुष यादगार कमेटी, भिवानी के संयोजक राजकुमार बासिया ने की। दोनों जगह मुख्य वक्ता एआईयूटीयूसी के राज्य उपाध्यक्ष कॉमरेड रामफल रहे और संचालन एआईडीवाईओ के जिला संयोजक संदीप मेहरा ने किया।

स्मृति सभाओं को किसान नेता रोहताश सिंह सैनी, मा. बस्ती राम, दयानंद फौजी, महेंद्र कटारिया व सुखबीर सिंह, धर्मवीर सिंह आदि ने भी सम्बोधित किया।

रोहतक (हरियाणा) : रोहतक शहर में ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन (एआईडीवाईओ) की ओर से 12 दिसंबर से 19 दिसंबर 2025 तक "साझी शहादत-साझी विरासत सप्ताह" मनाया गया।

इस अवसर पर काकोरी कांड के महान शहीदों के संघर्ष और विचारों को आम जनता तथा युवाओं तक पहुंचाने के उद्देश्य से शहर के विभिन्न पार्कों में बैनर लगाये गए तथा शहीदों के विचारों की प्रदर्शनी लगायी गई।

जनजीवन की ज्वलंत समस्याओं को लेकर प्रखंड कार्यालय पर निकाला जुलूस

वैशाली (बिहार): एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) प्रखंड कमेटी, वैशाली के तत्वावधान में प्रखंड सचिव कॉमरेड सिंघेश्वर भगत एवं वैशाली जिला कमेटी सदस्य कॉमरेड रामनाथ राय के नेतृत्व में वैशाली हाई स्कूल के निकट से झंडे-बैनरों से सुसज्जित जुलूस निकाला गया।

प्रदर्शनकारियों ने यूरिया की कालाबाजारी तथा थाने एवं प्रखंड-अंचल कार्यालय में घूसखोरी के खिलाफ नारे लगाये। फोर लेन सड़क बनाने के क्रम में सर्विस लेन को अविलंब बनाने, बिना नोटिस के आम जन के घर तोड़ना बंद करने, घोड़परास से फसल एवं जीवन क्षति को बचाना सुनिश्चित करने, राशन वितरण में घटतौली व सड़े-गले अनाज के वितरण पर रोक लगाने, ऑनलाइन परिमार्जन एवं दाखिल-खारिज में घूसखोरी बंद करने, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद अविलंब शुरू करने, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पर्याप्त दवा वितरण एवं चिकित्सकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने, बढ़ती महंगाई-बेरोजगारी को रोकने, हत्या, राहजनी, महिलाओं व बच्चियों के साथ छेड़खानी व बलात्कार की घटनाओं पर रोक लगाने, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में हो रही धांधली पर रोक लगाने, विश्व प्रसिद्ध लोकतंत्र की जननी वैशाली के अभिषेक पुष्कर्णी से वैशाली घाट तक के क्षेत्र को गंदगी और दुर्गंध से मुक्त करने, सभी किसानों का ऋण एवं गरीब महिलाओं का समूह लोन माफ करने, फुलाढ़ पंचायत के मंसूरपुर गांव में वर्षों से बंद पड़े स्टेट बोरिंग चालू करने आदि की मांग की गई।

जुलूस मुख्य मार्ग से थाना होते हुए प्रखंड कार्यालय पर पहुंचा, जहां सभा में तब्दील हो गया।

सभा की अध्यक्षता प्रखंड सचिव कॉमरेड सिंघेश्वर भगत ने की और संचालन जिला कमेटी सदस्य कॉमरेड रामनाथ राय ने किया।

सभा को संबोधित करते हुए वैशाली जिला कमेटी के वरिष्ठ सदस्य डॉ. राजेंद्र शर्मा ने कहा कि जनकल्याणकारी योजनाओं एवं जनता की समस्याएं बिना रिश्वत के हल होनी चाहिए। उन्होंने लोगों से अपील की कि जनजीवन की समस्याओं को लेकर जन आंदोलन को तेज किया जाये।

राज्य कमेटी सदस्य कॉमरेड इंद्रदेव राय, जिला सचिव कॉमरेड ललित कुमार घोष, शिक्षा बचाओ कमेटी के राज्य संयोजक रामप्रीत राय आदि ने कहा कि पूंजीवादी व्यवस्था में गरीब किसान-मजदूर-मध्यम वर्ग प्रभावित होता है और पूंजीपति वर्ग लाभान्वित होता रहता है। इस फासले को पाटने के लिए देशभर में जन आंदोलन को तेज करते हुए क्रांतिकारी रास्ते को अपनाते हुए क्रांति की तैयारी करना वक्त की पुकार है।

सभा को अन्य कई नेताओं ने भी संबोधित किया।

जबरन बिजली का स्मार्ट मीटर लगाने के खिलाफ रोष प्रदर्शन

गुना (मध्य प्रदेश): प्रीपेड स्मार्ट मीटर के खिलाफ राज्यव्यापी विरोध सप्ताह के आह्वान पर बिजली उपभोक्ता एसोसिएशन के बैनर तले 16 दिसम्बर को यहां स्थानीय हनुमान चौराहे पर उपभोक्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन करके कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में मांग की गयी कि प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाना तुरंत बंद किया जाए। लगाये गये स्मार्ट मीटर तुरंत हटाये जायें। स्मार्ट मीटर लगने के बाद अचानक बढ़कर आये बिलों को निरस्त किया जाये और तब तक इस वजह से हुए बकायादार उपभोक्ताओं की बिजली सप्लाई बहाल रखी जाये। स्मार्ट मीटर लगवाना या न लगवाना उपभोक्ताओं की मर्जी पर छोड़ा जाये।

प्रदर्शन को एसोसिएशन के राज्य संयोजन समिति सदस्य मनीष श्रीवास्तव ने सम्बोधित किया। उन्होंने कहा कि पुलिस बल का इस्तेमाल कर उपभोक्ताओं को डरा-धमकाकर स्मार्ट मीटर लगाना दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह की जनविरोधी नीतियों को रोका जाना चाहिए।

प्रदर्शन में बात रखते हुए मीसाबंदी रहे राकेश मिश्रा ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार कम्पनियों की सेवा में पूर्णत: नतमस्तक है। बेहद शर्मनाक बात है कि यह देश के तमाम संसाधनों सहित बिजली-पानी जैसी मूलभूत जरूरतों को मुनाफा कमाने के लिए निजी हाथों में सौंप रही है। सरकार को आम उपभोक्ताओं के दर्द-तकलीफों से कोई सरोकार नहीं है।

ट्रेड यूनियन लीडर नरेंद्र भदौरिया और उपभोक्ता मंच के हरिशंकर विजयवर्गीय ने भी आनी बातें रखीं।

कार्यक्रम का संचालन मनोज रजक ने किया गया।

उम्रकैद की सजा पाये बलात्कारी को जमानत दिये जाने का विरोध

दिल्ली: 2017 में हुए उन्नाव बलात्कार मामले में आजीवन कारावास की सजा पाये भाजपा के नेता और पूर्व विधायक कुलदीप सिंह की सजा दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा निरस्त करके उन्हें जमानत दिये जाने के खिलाफ ऑल इंडिया महिला संस्कृतिक संगठन (एआईएमएसएस) सहित विभिन्न महिला संगठनों और छात्र संगठनों द्वारा 28 दिसंबर को जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में दिल्ली के छात्रों और महिलाओं ने भाग लिया तथा अपने विचार रखे।

एआईएमएसएस की दिल्ली राज्य सचिव कॉमरेड रितु कौशिक ने कहा कि भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर, जो एक नाबालिक बच्ची का बलात्कारी ही नहीं, बल्कि उसके पिता और परिवार के अन्य सदस्यों की हत्या का दोषी भी है, उसे दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा जमानत पर छोड़ देने के फैसले ने पूरे देश के विवेक को झकझोर कर रख दिया है। इस फैसले से जहां एक तरफ न्याय व्यवस्था पर से लोगों का विश्वास टूटेगा, कानून का राज खत्म होगा, वहीं दूसरी तरफ बलात्कारियों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे महिलाओं और बच्चियों पर होने वाले अपराधों में बढ़ोतरी होगी। इससे न्याय

पाने के लिए संघर्ष कर रही हजारों महिलाओं की लड़ाई कमजोर हो जाएगी।

उन्होंने कहा कि इस फैसले से क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट यह संदेश देना चाहता है कि महिलाओं पर होने वाला बलात्कार जैसा कुकृत्य भी जघन्य अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। विडम्बना यह है कि सामाजिक कार्यकताओं और पर्यावरण कार्यकर्ताओं को तो जेल में डाला जा रहा है, जबकि अपराधियों को जमानत दी जा रही है।

उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इस फैसले का संज्ञान लेने और सेंगर की जमानत रद्द करने की मांग करते हुए महिलाओं पर बढ़ते अपराधों के खिलाफ एक जबरदस्त जुझारू आंदोलन संगठित करने के लिए देशभर की महिलाओं, छात्रों और नौजवानों का आह्वान किया।

जबरन बिजली का स्मार्ट मीटर लगाने के विरोध में क्षेत्रीय कन्वेंशन

ग्वालियर (मध्य प्रदेश) : जबरन बिजली के स्मार्ट मीटर लगाने और मनमाने बढ़े हुए बिजली के बिल देने के विरोध में मध्य प्रदेश बिजली उपभोक्ता संगठन द्वारा 18 दिसम्बर को गुड़ी गुड़ा के नाके पर क्षेत्रीय कन्वेंशन किया गया।

संगठन की राज्य संयोजन समिति के सदस्य मनीष श्रीवास्तव ने कन्वेंशन में बात रखते हुए कहा कि स्मार्ट मीटर लगाना जनता पर आर्थिक बोझ लादने जैसा है। लेकिन आम जनता के भारी विरोध के बावजूद बिजली कंपनी लोगों को डरा-धमकाकर पुलिस बल की सहायता से जबरन स्मार्ट मीटर लगा रही है, जो पूरी तरह से गैर कानूनी है। उन्होंने इस नीति को सरकार को तुरंत वापस लेने की मांग की।

संगठन के वरिष्ठ सदस्य रूपेश जैन ने कहा कि स्मार्ट मीटर आम जनता को लूटने

की मशीन है। बिजली कंपनी जनता को बिजली काटने की धमकी देकर जबरन स्मार्ट मीटर लगा रही है। जबरन स्मार्ट मीटर लगाने और बढ़े हुए बिजली के बिल आने के कारण जनता में बहुत भारी रोष है।

इस कन्वेंशन के माध्यम से इस लूट की योजना को रद्द करने की मांग की गई।

कन्वेंशन का संचालन एसोसिएशन के जिला कमेटी सदस्य धीरेंद्र शिवहरे ने किया

कन्वेंशन में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं, पुरुष और छात्र शामिल हुए।

पीकेसी लिंक परियोजना के तहत बड़ा बांध बनाकर किसानों की उपजाऊ जमीन छीनने के खिलाफ नागरिक कन्वेंशन आयोजित

गुना (मध्यप्रदेश): स्थानीय अंबेडकर भवन गुना में गांव बचाओ खेत बचाओ संघर्ष समिति द्वारा 28 दिसंबर को नागरिक कन्वेंशन का आयोजन किया गया। कन्वेंशन में शहर के प्रगतिशील लोग शामिल हुए। पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना के तहत बीनागंज चाचौड़ा तहसील के डूब क्षेत्र में आने वाले गांव के किसान शामिल हुए। कन्वेंशन में मांग की गई कि पीकेसी लिंक परियोजना के तहत बनने वाले विशाल बांध की जगह छोटे-छोटे बांध बनाकर डूब क्षेत्र में आने वाले गांवों और जमीन को डूबने से बचाया जाए। शहर के सामाजिक कार्यकर्ता राकेश मिश्रा ने कहा कि किसानों को गांवों और जमीन से बेदखल कर बड़ी-बड़ी कम्पनियों को फायदा पहुंचाने का निर्णय सरकार को तुरंत वापस लेना चाहिए और किसान-हितैषी नीतियां बनानी चाहिए। एडवोकेट डा. पुष्पराग शर्मा ने कहा कि इन्सानों के लिए जो प्रकृति की नेमतें हैं, उनसे छेड़छाड़ करना पूरे समाज को नुकसान पहुंचाने वाला कार्य है, बड़े-बड़े बांध बनाकर प्रकृति को नुकसान पहुंचाना और प्राकृतिक आपदाओं को न्योता देना जैसा है। बीनागंज से पधारे प्रदुम्न मीणा ने कहा कि किसानों की जो समस्याएं हैं, उनका समाधान सिर्फ और सिर्फ आंदोलन के जरिये ही हो सकता है। तमाम पार्टियां आज किसानों के हितों के नाम पर बड़े-बड़े उद्योगपतियों और पूंजीपतियों के फायदे के लिए नीतियां बना रही हैं। उन्होंने किसानों को यह समझने और बड़े बांध बनाने की नीति को रद्द करने की मांग पर किसानों को संगठित करके आंदोलन गठित करने की जरूरत पर बल दिया।

मनीष श्रीवास्तव ने कहा कि किसानों को समझना होगा कि सता पक्ष के लोग किसानों को आंदोलन से अलग करके भ्रमित करने में लगे हुए हैं। इतिहास साक्षी है कि अनुनय-विनय करने या वोट डालकर हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहने से कभी हक-हकूक नहीं मिले हैं। आज जो कुछ भी हक-अधिकार नागरिकों के पास हैं, वे विभिन्न जन अंदोलनों के कारण ही हैं। ऐसे में किसानों को अपनी एकता बनाकर सरकार की किसान-विरोधी नीतियों के खिलाफ लड़ने की जरूरत है।

ऑल इंडिया किसान खेतमजदूर संगठन के जिला सचिव कॉमरेड महेंद्र नायक ने सभी किसानों से आंदोलन में शामिल होने के लिए अपील की।

कार्यक्रम का संचालन समिति के सदस्य राधेश्याम चंदेल और विनोद मीणा ने किया व आभार अजय राव ने व्यक्त किया।

कन्वेंशन में गुना शहर सहित अलग-अलग गांव के किसान शामिल हुए।

अरावली पहाड़ियों को बचाने की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन

दिल्ली : अरावली की पहाड़ियों की परिभाषा संबंधी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरोध में नागरिकों के जनमंच दिल्ली सिटिजन्स इनिसियेटिव -के बैनर तले 25 दिसंबर को यहां जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया। सर्वविदित है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि 100 मीटर से कम ऊंचाई वाले पर्वत/पहाड़ियां अरावली पर्वतमाला का हिस्सा नहीं माने जाएंगे।

दिल्ली सिटिजन्स इनिसियेटिव की दीपिका जैन ने बताया कि इस विरोध प्रदर्शन में एआईएमएसएस, एआईडीएसओ, एआईडीवाईओ, एआईयूटीयूसी, सीपीडीआरएस, ब्रेकथ्रू साईंस सोसाइटी सहित विभिन्न जनवादी संगठनों से जुड़े सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने भाग लिया।

वक्ताओं ने अरावली पर्वतमाला पर मंडरा रहे बढ़ते खतरों पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत प्रणालियों में से एक होने के नाते अरावली दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों के पारिस्थितिक संतुलन, जल सुरक्षा और वायु गुणवत्ता की रक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

वक्ताओं ने 20 नवंबर 2025 को अरावली पहाड़ियों एवं पर्वतमाला की परिभाषा से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर गंभीर चिंता व्यक्त की और उसका कड़ा विरोध किया। यह निर्णय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के नेतृत्व वाली समिति द्वारा प्रस्तावित संकीर्ण, ऊंचाई-आधारित परिभाषा को स्वीकार करता है, जो भारत की सबसे महत्वपूर्ण पारिस्थितिक सुरक्षा ढालों में से एक को अपूरणीय क्षति पहुंचा सकता है। इस फैसले के कारण अरावली के 90% से अधिक भू-आकृतिक क्षेत्र कड़े संरक्षण से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में अरावली की अधिकांश संरचनाएं निम्न ऊंचाई की क्षरित पहाड़ियां, टीले और पेडिमेंट्स हैं, जो 100 मीटर की सीमा में नहीं आतीं।

उन्होंने मांग की कि

1. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्देश दिया जाए कि वह 100-मीटर के मानदंड को वापस ले और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत पूरे अरावली क्षेत्र को पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र (इको-सेन्सीटिव जोन) घोषित करे तथा गैर-वनीय गतिविधियों पर पूर्ण रोक लगाए।

2. सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुनर्विचार : 20 नवंबर 2025 के निर्णय पर स्वत: संज्ञान लेकर समीक्षा शुरू की जाए या जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर इस निर्णय पर पुनर्विचार किया जाए।

3. प्रवर्तन और पुनर्स्थापन : अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई की जाए, स्वतंत्र संस्थाओं द्वारा समग्र मैपिंग कराई जाए और अरावली क्षेत्र में वन रोपण कार्यों को तेज किया जाए।

राजस्थान में अरावली बचाओ रैली

जयपुर (राजस्थान) : 28 दिसंबर 2025 को एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) की जयपुर जिला कमेटी की ओर से लुनियावास, जयपुर में अरावली बचाओ रैली का आयोजन किया गया। इससे पहले लुनियावास मार्केट तक जुलूस निकाला गया। इस रैली में जनता ने जोशो-खरोश से भाग लिया और नारे लगाये।

राजस्थान राज्य तैयारी समिति के सदस्य कॉमरेड कुलदीप सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि चंद मुट्ठीभर पूंजीपतियों की ताबेदार ये सरकारें अपने आकाओं की सेवा में लगी हुई हैं। ये सरकारें संसद में जनविरोधी कानून बनाती हैं और अपने मालिक पूंजीपतियों की फरमानबरदारी करती हैं। इसी कड़ी में केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा कोर्ट के आदेश पर विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला अरावली को भी खत्म करने की साजिश रची जा रही है ताकि पूंजीपतियों के लिए अधिकतम मुनाफा सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने इस साजिश को नाकाम करने के लिए आगे आने के लिए लोगों का आह्वान किया। क्योंकि अरावली पर्वतमाला के नहीं रहने से मरुस्थलीकरण की गति तेज होगी, भूजल स्तर में गिरावट आएगी, वनस्पति और वन्य जीव-जंतुओं का विनाश होगा, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र गड़बड़ा जाएगा और इस तरह की ढेरों पर्यावरणीय समस्याएं जनता के सामने खड़ी हो जाएंगी।

पार्टी के राज्य सचिव कॉमरेड रामदयाल ने भी रैली को सम्बोधित किया।

PRGI Regn. No. 43022

विबीजीरामजी विधेयक के खिलाफ विशाल विरोध प्रदर्शन

बेलगावी (कर्नाटक): एसयूसीआई (सी) और एआईकेकेएमएस की ओर से 30 दिसंबर को कर्नाटक के बेलगावी में केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा लाये गये विबी-जी-आरएएम-जी विधेयक के खिलाफ विशाल विरोध प्रदर्शन किया गया।

विबीजीरामजी विधेयक..

(पृष्ठ 1 का शेष)

में परिवार के हिसाब से काम की मांग के आधार पर काम बांटने की व्यवस्था थी, यहां इसकी जगह केंद्र सरकार की मर्जी से काम बांटने की व्यवस्था होगी और केंद्र सरकार के अफसरशाह (ब्यूरोक्रेट) तय करेंगे कि कहां और कितना काम दिया जाएगा।

तीसरा, मनरेगा में अब तक पूरी आर्थिक जिम्मेदारी केंद्र सरकार की थी। इस बिल में इसकी जगह केंद्र सरकार 60 प्रतिशत आर्थिक जिम्मेदारी लेगी और बाकी 40 प्रतिशत आर्थिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों के कंधों पर डाल दी गई है। यानी अगर राज्य सरकारों की आर्थिक क्षमता और नेक नीयत नहीं है, तो काम नहीं होगा। अगर कोई राज्य उन्हें तय रकम नहीं दे सकता, तो यह योजना उस राज्य में लागू नहीं होगी। केंद्र सरकार ने राज्य पर आर्थिक जिम्मेदारी डालकर योजना को बंद करने का मौका छोड़ दिया है। चौथी बात, मनरेगा में अगर अधिकारी मजदूरों के काम करने के बाद तय समय में मजदूरी नहीं दे पाते हैं, तो उन्हें मुआवजा दिये जाने का प्रावधान था। यह इस बिल में कैंसिल कर दिया गया है। इतना ही नहीं, बल्कि औसत मजदूरी 260 रुपये थी, इस बिल में उसमें एक पैसा भी नहीं बढ़ाया गया है। इस भयानक महंगाई के समय में इतनी कम मजदूरी होना एक मजाक के सिवा और क्या है?

इस बिल में कहा गया है कि साल में 125 दिन काम की गारंटी होगी। लेकिन हमने देखा है कि यह गारंटी कैसी है। मनरेगा से पहले, 100 दिन काम की 'गारंटी स्कीम' के तहत मजदूरों को साल में औसतन 10 दिन भी काम नहीं मिलता था। इसलिए भाजपा सरकार की 125 दिन काम की गारंटी एक बड़े झांसे के सिवा कुछ नहीं है। इस बिल में कहा गया है कि केंद्र सरकार वह समय बतायेगी, जब राज्य के ग्रामीण इलाकों में ज्यादा काम की जरूरत होगी। यानी यह साफ किया गया है कि मजदूरों को सिर्फ उन्हीं इलाकों में काम दिया जाएगा, जिन्हें केंद्र सरकार काम के लिए बतायेगी। दूसरी जगहों के मजदूरों को इससे वंचित होना पड़ेगा।

ग्रामीण मजदूरों का रोजगार छीनने वाले इस खतरनाक जनविरोधी बिल के खिलाफ ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन (एआईकेकेएमएस) ने पूरे देश में आन्दोलन शुरू किया है। यह संगठन शुरू से ही गांव के मजदूरों को सालभर काम की मांग के लिए लड़ रहा है। इसी लगातार संघर्ष का नतीजा है कि सरकार को 2005 में मनरेगा शुरू करने पर मजबूर होना पड़ा था। उस दिन से ही एआईकेकेएमएस यह मांग करता आ रहा है कि मनरेगा के तहत 600 रुपये रोजाना मजदूरी पर कम से कम 200 दिन का काम दिया जाए, जिसमें से 100 दिन इलाके में विकास के काम के लिए और 100 दिन छोटे और मध्यम किसानों की जमीन पर काम के लिए हों। संगठन ने इस बारे में संसद में एक मांग पत्र भी दिया है।

केंद्र सरकार इन गरीब मजदूरों के बारे में नहीं सोचती। उनकी सोच सिर्फ यह है कि कैसे देशी-विदेशी कॉर्पोरेट पूंजीपतियों की ज्यादा सेवा की जाए। इसलिए पिछले 10 सालों में केंद्र सरकार ने इन कॉर्पोरेट पूंजीपतियों के करीब बीस लाख करोड़ रुपये के बैंक लोन (कर्ज) माफ किये हैं। असल में, यह कर्ज खजाने से पैसे लेकर माफ किया गया था। लेकिन इस पैसे से गांव के मजदूरों को 200 दिन का काम और 600 रुपये दैनिक मजदूरी आसानी से दी जा सकती थी। इसलिए गांव के मजदूरों के जिंदा रहने के लिए कड़ा संघर्ष करने के सिवा और कोई चारा नहीं है। इसी मकसद से एआईकेकेएमएस देश के किसानों और मजदूरों को एकजुट कर रहा है।

संकल्प रैली ...

(पृष्ठ 1 का शेष)

बर्बरता का डटकर विरोध करने के दृढ़ संकल्प की रह-रहकर हुंकार भरते हरी टोपी पहने स्वयंसेवकों की झलक। महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों का प्रतिरोध करने के लिए एक सतत शक्तिशाली आंदोलन खड़ा करने के दृढ़ इरादे के साथ मुट्ठियां ताने जागरूक महिलाओं का ऐसा अंतहीन अनुशासित दृढ़ संकल्पित जुलूस इस राज्य ने इससे पहले कभी नहीं देखा था। अंधेरे और उदासी के गर्त में प्रकाश की एक प्रतिमूर्ति प्रकट हुई –हां, मानव विवेक अब निष्क्रिय नहीं है, विरोध की आवाज दबी नहीं है, लड़ाकू भावना मरी नहीं है।

अधीनता में घसीटी गई महिलाएं लंबे समय से पितृसत्तात्मक समाज में बेड़ियों में जकड़ी रहने के लिए अभिशप्त हैं। लेकिन इस दासता में कमी आने के बजाय महिलाओं की दुनिया न केवल इसमें गर्क होती जा रही है, बल्कि यह भयावह आयाम देती जा रही है। महिलाओं को भेग-विलास की वस्तु के रूप में प्रस्तुतीकरण इस हद तक बढ़ गया है कि उनके लिए अपनी इज्जत-आबरू बचाना दुश्वार हो गया है। बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, डायन करार देकर पीट-पीट कर मार देना (लिंचिंग), दहेज हत्या, देह-व्यापार, एसिड अटैक, ऑनर किलिंग, कन्या भ्रूण हत्या और शिशु हत्या–इस सड़-गले अमानवीय पूंजीवादी समाज में महिलाओं को देने के लिए बस यही तो है। महिलाओं के प्रति यह अंधाधुंध वहशीपन का दौर दिल्ली में 2012 में निर्भया कांड से शुरू हुआ। उसके बाद उन्नाव, उत्तर प्रदेश में हाथरस, कश्मीर में कठुआ और हाल ही में आर जी कर अस्पताल में अभया कांड और कोलकाता के एक लॉ कॉलेज में छेड़छाड़ आदि ऐसे काण्डों का तांता लग गया। यह फेहरिस्त बहुत लंबी है। हालांकि शायद ही किसी अपराधी को सजा मिल पाती है, क्योंकि सत्ता में बैठे लोग उन्हें बचाते हैं। यह भी देखा गया है कि ऐसे महिला-द्वेषी दरिन्दे और हत्यारे जब जेल से रिहा हुए, तो सत्ताधारी पार्टी के नेताओं द्वारा उनका फूलमालाओं से स्वागत किया गया। इस प्रकार महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध वस्तुतः राज्य द्वारा प्रायोजित मामला बनते जा रहे हैं।

जब यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और अत्याचार सहनशक्ति से बाहर हो गए और न्याय मिलना मुश्किल हो गया, तो कुछ बहुत प्यारी, लंबे समय से संजोयी हुई चीज शानदार ढंग से सामने आई। महिलाओं ने खुद ही अपनी कमर कस ली और 'जागो नारी, जागो वह्नीशिखा' नामक एक मंच बनाया–जो क्रांतिकारी कवि काजी नजरूल इस्लाम की आग उगलती वीणा की एक पंक्ति है, विभिन्न पेशों की आठ प्रतिष्ठित महिलाओं को संयोजक बनाकर एक विस्तृत कार्यक्रम की योजना बनायी, अपनी सखी-सहेलियों, पड़ोसियों और रिश्तेदारों को 9 दिसंबर से 7 दिन तक पूरे राज्य में पैदल कूच में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। यह करते हुए 16 दिसंबर को कोलकाता के कॉलेज स्क्वायर में भारतीय नवजागरण के अग्रदूत और महिलाओं के मुद्दे को निडरता से उठाने वाले ईश्वरचंद्र विद्यासागर की मूर्ति के समक्ष सब एकत्रित हुईं। 9 दिसंबर को 19वीं सदी के बंगाल की एक विचारक, लेखिका और शिक्षाविद बेगम रोकैया सखावत हुसैन का जन्मदिन और साथ ही वर्षगांठ भी थी, जो नारी मुक्ति और नारी शिक्षा के समर्थन में अपने प्रयासों के लिए जानी-मानी एक महान हस्ती थीं। चार जगहों से जुलूस शुरू हुए–उत्तर बंगाल में कूचबिहार से, राज्य के पश्चिमी हिस्से में पुरुलिया से, आदिवासी इलाके झारग्राम से और दक्षिण बंगाल में काकद्वीप से। कोलकाता कूच करते हुए ये जूलूस विभिन्न जिलों से गुजरे, जहां जाने-माने लोगों द्वारा बनायी गई स्वागत कमेटियों ने उनका स्वागत किया। हर जगह रैलियां, सभाएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। लोगों का रिस्पॉन्स जबरदस्त था, क्योंकि हर कोई महिला सुरक्षा के सवाल को उठाने का सच्ची ईमानदारी से हामी था। जुलूस में शामिल महिलाएं ठंड की परवाह किये बिना एक जगह से दूसरी जगह गईं, विभिन्न जिलों की स्वागत कमेटियों द्वारा बनाये गये विश्राम स्थलों पर थोड़ी देर रुकीं, जो भी खाना मिला, मजे से खाया और फिर अगली मंजिल की ओर पैदल चलने के लिए लाइन में लग गईं। इन सात दिनों में उन्हें कोई हार-थकान महसूस नहीं हुई, क्योंकि वे एक सही मकसद से लैस थीं और उन्होंने इस मुश्किल सफर के लिए खुद को तैयार कर लिया था। उन्होंने कॉमरेडाना संगत की गर्माहट, बंधुत्व के जोशो-खरोश और एक सही मकसद के लिए मिलकर आवाज उठाने की खुशी भी महसूस की।

16 दिसंबर को संकल्प रैली के पहले चरण के समापन दिवस पर कोलकाता के कॉलेज स्क्वायर पर कुछ अलग ही नजारा था। सुबह से ही, हर तबके के लोग इस जगह पर आने लगे थे। वे इस वास्तव में

(शेष पृष्ठ 8 पर)

बहुराष्ट्रीय कंपनियों के खिलाफ अंडमान के किसानों के आंदोलन की मांगें मानने को मजबूर हुई सरकार

एक साल के लंबे आंदोलन के बाद प्रशासन को किसानों की मांगें मानने के लिए मजबूर होना पड़ा। पिछले एक साल से अंडमान में भाजपा सरकार ने रासायनिक खाद और कीटनाशकों की आपूर्ति रोकी हुई थी। रणनीति यह थी कि किसानों को ऑर्गेनिक खाद इस्तेमाल करने के लिए मजबूर किया जाए। योजना यह थी कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के शॉपिंग मॉल मालिक यहां के किसानों से ऑर्गेनिक खाद से उगायी गई सब्जियां कम कीमत पर खरीदेंगे और उन्हें बहुत ज्यादा महंगे दामों पर बेचकर सैकड़ों करोड़ रुपये का मुनाफा कमायेंगे। भाजपा सरकार ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों की ताबेदार बनकर इस मामले में भी मदद का हाथ बढ़ाया। इसलिए किसी भी स्तर पर कोई सरकारी लिखित आदेश जारी किये बिना सरकार ने कृषि विभाग को जुबानी आदेश देकर अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह में रासायनिक खाद और कीटनाशकों की आपूर्ति रोक दी। जब किसानों ने संबंधित अधिकारियों से इसका कारण पूछा, तो कृषि अधिकारी साफ जवाब नहीं दे पाये।

किसान जिस तरह के बीज उगाते हैं, उन बीजों की आपूर्ति बहुराष्ट्रीय कंपनियां करती हैं। आज किसानों के पास अपने बीज नहीं हैं, सब कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हाथों में है। इन ज्यादा पैदावार देने वाले बीजों में रासायनिक खाद और कीटनाशकों का इस्तेमाल होना ही चाहिए। किसानों को इन उर्वरकों यानी खादों और कीटनाशकों की आपूर्ति भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां ही करती हैं। अगर रासायनिक खाद और कीटनाशकों का इस्तेमाल नहीं किया गया, तो अच्छी पैदावार नहीं होगी और तरह-तरह के कीड़े लगेंगे। वे बहुराष्ट्रीय कंपनियां फिर से अंडमान के किसानों को उन्हीं बीजों का इस्तेमाल करके ऑर्गेनिक खाद से खेती करने के लिए मजबूर कर रही हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा शोषण का यह कैसा अजीब तरीका है।

जब किसानों ने पूछा कि इस बारे में सरकारी आदेश क्या है, तो अधिकारी कोई आदेश नहीं दिखा सके। इसके विरोध में किसानों ने खुद को संगठित किया और एक आंदोलन खड़ा करने की पहल की। 'किसान यूनिटी' कायम की गई। इस संगठन ने एक साल तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के द्वीपों पर किसानों को संगठित किया और अलग-अलग स्तर पर आंदोलन किये।

किसान यूनिटी कमेटी की एक सभा में यह तय किया गया कि किसान खेतों से सब्जियां नहीं तोड़ेंगे और उन्हें किसी भी मंडी में नहीं ले जायेंगे।

11 दिसंबर से अंडमान की सभी सब्जी मण्डियों में सब्जियों की आपूर्ति बंद कर दी गई। इसे लोगों का बड़ा भारी समर्थन मिला। मण्डियों में सब्जियां नहीं हैं, इससे प्रशासन परेशान हो गया। प्रशासन ने कमेटी के नेताओं को वार्ता के लिए बुलाने की बात कही कि आइए, हम आपसे बात करेंगे। किसानों ने प्रशासन का प्रस्ताव ठुकरा दिया। जब कृषि विभाग के डायरेक्टर ने उनसे अनुरोध किया, तब भी किसानों ने कहा कि आपको हमारे धरना स्थल पर आना होगा। डायरेक्टर ने कहा कि मैं आपको आधिकारिक पत्र भेजकर भरोसा दिला रहा हूं कि अगले महीने से रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों की आपूर्ति की जायेगी। इस बारे में एक सरकारी पत्र भी किसानों को भेजा गया। तब भी किसानों ने कहा, ''धरना स्थल पर आइए और किसानों को बताइए कि आपको क्या चाहिए।'' अधिकारियों ने 13 दिसंबर को आने का वादा किया।

कमेटी के सचिव आकाश बिस्वास, अरविंद बिस्वास, खगेन मंडल और दूसरे लोगों ने इस आन्दोलन की अगुआई की।

उच्च शिक्षा ....

(पृष्ठ 3 का शेष)

शुरू किया है। एक अकादमिक साल को दो सेमेस्टरों में बांटा गया है। इसलिए चार साल के डिग्री कोर्स में कुल 8 सेमेस्टर होंगे। लेकिन 180 दिनों के बजाय, हर सेमेस्टर को सिर्फ 90 दिन मिलेंगे! इतने कम समय में पाठ्यक्रम पूरा करना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा, गर्मियों की छुट्टियों में आठ हफ्ते (लगभग दो महीने) की अनिवार्य इंटर्नशिप या व्यावसायिक शिक्षा (वोकेशनल एजुकेशन) या ट्रेनिंग होगी।

अत: पढ़ाई का कुल समय 12 महीने से घटाकर सिर्फ 8 महीने कर दिया गया है (जिसमें दो महीने की अनिवार्य वोकेशनल एजुकेशन शामिल है)! स्वाभाविक रूप से यह सवाल उठता है: बाकी चार महीनों के लिए क्या प्लान है? सेमेस्टर सिस्टम को पढ़ाने के एक नए तरीके के तौर पर पेश किया गया था।

पाठ्यक्रम को छोटे मॉड्यूल में बांटना शुरू में एक छात्र के लिए मददगार हो सकता है, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि पांचवें सेमेस्टर का छात्र पहले सेमेस्टर के टॉपिक भूल जाता है। सेमेस्टर सिस्टम असल में 'पढ़ो और भूल जाओ' तरीका बन गया है। सेमेस्टर सिस्टम ने फीस बढ़ा दी है, पढ़ाई के घंटे कम कर दिये हैं, परीक्षा प्रक्रिया को जटिल बना दिया है और पूरी जानकारी हासिल करने की प्रक्रिया में रुकावट डाल दी है।

एनईपी-2020–शिक्षा के निजीकरण और व्यवसायीकरण का ब्लूप्रिंट

एनईपी-2020 शिक्षा के निजीकरण और व्यवसायीकरण का ब्लूप्रिंट है। जो एनईपी-1986 ने चार दशक पहले शुरू किया था, एनईपी-2020 उस काम को बड़े पैमाने पर पूरा कर रही है। भाजपा-नीत केंद्र सरकार, जो भारतीय पूंजीपति वर्ग की आज्ञाकारी नौकर है, इसे लागू करने में आसानी के लिए सभी बदलाव कर रही है। यूजीसी, एआईसीटीई, एनईईटी, एनसीएफ, सीबीएसई और अन्य गवर्निंग बॉडी के प्रमुख उनकी कठपुतली हैं। सभी चांसलरों और वाइस-चांसलरों को या तो इन नीतियों का पालन करना होगा; नहीं तो, उनके संस्थानों को ग्रांट या सरकारी फंडिंग नहीं मिलेगी। सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेज अब खाली हैं। सरकार जल्द ही यह तर्क देगी कि बिना छात्रों वाले कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में शिक्षकों और प्रोफेसरों को सैलरी देकर लोगों का पैसा क्यों बर्बाद किया जाए। नतीजतन, उन्हें बंद कर दिया जाएगा। शिक्षकों को हटा दिया जाएगा। वे पद हमेशा के लिए खत्म कर दिये जाएंगे। जबकि निजी शिक्षा का धंधा खूब फलेगा-फूलेगा।

क्या किया जाना चाहिए?

सवाल यह है कि क्या इसे हम मंजूर करेंगे? या हम इस हमले का विरोध करेंगे? पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। छात्र, शिक्षक, बुद्धिजीवी, शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता सड़कों पर हैं। संसदीय राजनीतिक पार्टियां चुप हैं। हालांकि देश में शिक्षा बचाओ आंदोलन जोर पकड़ रहा है।

ऑल इंडिया सेव एजुकेशन कमेटी ने 'जनता की वैकल्पिक शिक्षा नीति-2025' का एक ड्राफ्ट तैयार किया है। पूरे देश से राय ली जा रही है। इन विचारों को लेकर 24 जनवरी, 2026 को बेंगलुरु में जन संसद होगी। यह आंदोलन उम्मीद की एक किरण है। यह अंधेरे में एक उम्मीद की किरण है। ●

बुर्जुआ कुसंस्कृति की कूपमंडूकता से खुद को मुक्त कर अपने बीच क्रांतिकारी नेतृत्व को जन्म देने में सक्षम हुए सर्वहारा ही केवल दुनिया को बदल सकते हैं

कॉमरेड शिवदास घोष

कॉमरेड शिवदास घोष की शिक्षाओं से...

...केवल राजनैतिक रूप से नहीं, स्लोगन से नहीं–आचार-व्यवहार, नीति-नैतिकता, रुचि-संस्कृति आदि में बुर्जुआ कुसंस्कृति की कूपमंडूकता से खुद को मुक्त कर अपने बीच क्रांतिकारी नेतृत्व को जन्म देने में सक्षम हुए प्रोलेटेरीअट (सर्वहारा) ही केवल दुनिया को बदल सकते हैं। जब तक मजदूर बुर्जुआ माहौल से प्राप्त बुर्जुआ व्यक्तिवाद, विचारधारा व कुसंस्कृति के प्रभाव से मुक्त नहीं हो जाते, तब तक वे आर्थिक बदहाली के बढ़ने पर भी क्रांति नहीं कर सकते। बुर्जुआ कुसंस्कृति का जो रूप हम मजदूरों में देखते हैं, चूंकि वे मजदूर हैं, इसलिए वह संस्कृति प्रोलेटेरीअट संस्कृति नहीं हो जाती। एक समय 'फिलान्थ्रोपिक आइडिया' (परोपकारी विचार) से प्रभावित कुछ लोगों का मानना था कि मजदूरों में जो कुछ है, सबकुछ क्रांतिकारी है। इसलिए मार्क्स से लेनिन तक सभी ने ऐसे लोगों के कान ऐंठते हुए कहा था कि प्रोलेटेरीअन कल्चर (सर्वहारा संस्कृति) का मतलब यह नहीं है कि 'कल्चर इटसेल्फ प्रोलेटेरीअट' (संस्कृति खुद ही सर्वहारा) हो। उन्होंने कहा था कि प्रोलेटेरीअन कल्चर का मतलब यह नहीं है कि खुद कल्चर ही प्रोलेटेरीअट हो। उन्होंने कहा है कि बुर्जुआ क्रांति के विचार के आधार पर मानवतावादी मूल्यों और उदारतावाद का ढांचा विकसित हुआ था। मजदूर क्रांति के दौर में, मजदूर क्रांति की विचारधारा को केन्द्रकर प्रोलेटेरीअन संस्कृति हासिल करने का मतलब अज्ञानी, अनपढ़, बुर्जुआ कुसंस्कृति के प्रभावों से ग्रस्त प्रोलेटेरीअट की बातों और आदतों को अपनाना नहीं है। बुर्जुआ संस्कृति व बदहाली भरे जीवन में जकड़े जो मजदूर किस्मत की दुहाई देकर, इसी जीवन को सत्य मानकर, नियम मानकर चल रहे हैं, आर्थिक अवसरवाद के गोरखधंधे में फंसे हुए हैं, उन्हें उस दलदल से निकाल कर संजीदगी के साथ खड़ा कर, नये विचार से लैस कर कम्युनिस्ट बनाने के लिए ही प्रोलेटेरीअन कल्चर है। लेकिन मैं भारत में बिल्कुल उल्टी ही चीज देख रहा हूं। यहां मजदूरों के बीच जाने और उनके साथ घुलने-मिलने के लिए तथाकथित कम्युनिस्टों को भांग, गांजा आदि नशीले पदार्थों का सेवन करना पड़ता है। एक समय कितने ही कार्यकर्ता घर-बार छोड़कर, सर्वस्व त्यागकर क्रांति के लिए लेबर पार्टी में आये थे। एक इतनी बड़ी पार्टी, जिसने खुद मजदूरों के बीच से इतने अधिक कार्यकर्ता पाये थे, उतने कार्यकर्ता हम लोगों ने किसी पार्टी में नहीं देखे। आज हम उसकी कैसी दयनीय परिणति देख रहे हैं! प्रोलेटेरीअन संस्कृति की शिक्षा देते हुए उसने सारे कार्यकर्ताओं को अत्यधिक बदहाल प्रोलेटेरीअट में तब्दील कर दिया। एक भी कार्यकर्ता को वे क्रांतिकारी नहीं बना पाये। कितने कैडरों को उन्होंने बुरी तरह बर्बाद कर दिया। बुर्जुआ कुसंस्कृति के शिकार नैतिकताविहीन प्रोलेटेरीअटों को जगाने के क्रम में वे खुद ही इन बुराइयों के शिकार बन गये। बस इसी दलदल में फंसकर उनकी तमाम संभावनाएं नष्ट हो गयीं। इसलिए मार्क्सवादी आंदोलन या मजदूर आंदोलन के विजयी होने की प्रधान शर्त है कि अगर मजदूर अपने-आप को बदल नहीं सका, तो वह दुनिया को भी नहीं बदल सकेगा। यही वजह है कि सर्वहारा संस्कृति की नींव पर, सही राजनैतिक लाइन के आधार पर सही क्रांतिकारी पार्टी का नेतृत्व कायम करने का सवाल क्रांति के सवाल के साथ ओत-प्रोत रूप से जुड़ा हुआ है। मजदूरों के पास जो एकमात्र हथियार या विज्ञान है, उस मार्क्सवाद-लेनिनवाद के आधार पर मजदूरों को वर्ग-संघर्ष के अंतर्निहित नियम व स्वरूप तथा देश की आर्थिक, राजनैतिक व सामाजिक परिस्थितियों का विश्लेषण सही तरीके से समझना होगा। तंगहाली, बदहाली, अन्याय-अत्याचार को केन्द्रकर समाज के अंदर जो निरंतर संघर्ष विकसित हो रहे हैं, उन्हें आखिरकार कहां, किस मंजिल तक ले जाना है–इस बात को समझना होगा। कौन शोषण कर रहा है, किसके खिलाफ लड़ना है–इन बातों को समझना ही मजदूर आंदोलन की मुख्य बात है। आप संघर्ष चाहते हैं और संघर्ष के लिए संगठन चाहते हैं। आप संघर्ष और संगठन होने से ही खुश हो जाते हैं। ऐसा होने से काम नहीं चलेगा। संघर्ष क्यों? संगठन क्यों? निश्चित तौर पर संघर्ष के लिए ही तो संघर्ष नहीं होना चाहिए। महज संगठन के लिए संगठन नहीं होना चाहिए। तो फिर संघर्ष कहिए, संगठन कहिए–ये सब आवश्यक हैं क्रांति के लिए, मजदूरों की मुक्ति के लिए। किससे मुक्ति? शोषण कौन कर रहा है? रुकावट कहां है? राम मेरा शोषण कर रहा है और अगर मैं श्याम के खिलाफ लड़ने की तैयारी करता रहूं, तो मैं कभी मुक्ति हासिल नहीं कर पाऊंगा। इसलिए सही रास्ते का निर्धारण कर पाना अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल है। ईमानदारी, निष्ठा, कुर्बानी और संघर्ष की मानसिकता रहते हुए भी अगर रास्ता गलत हो, तो सारी मेहनत बेकार जाने के सिवा कुछ नहीं होगा। याद रखिएगा, ये सब 'एलिमेन्ट्री बेस क्वालिटी' (बुनियादी प्राथमिक गुण) हैं, जिनके बिना क्रांतिकारी ही क्यों, प्रतिक्रियावादी भी कुछ नहीं कर सकते हैं। फासिस्ट नाजी लोगों ने, जिन्होंने जर्मनी में फासिस्ट राजसत्ता कायम की थी, क्रांति को रोका था, प्रतिक्रिया को जन्म दिया था; जापानी साम्राज्यवाद, जिसने तमाम दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों पर अपना घिनौना साम्राज्यवादी शासन लागू किया था और जुल्म ढाहा था, पिछले विश्वयुद्ध के दौरान जो इतने बड़े खतरे के रूप में उभरा था, उन्होंने जाने या अनजाने एक नैतिक बल, ईमानदारी और निष्ठा के साथ ही काम किया था। वे 'हाराकिरी' किया करते थे। 'हाराकिरी' शब्द आप लोगों ने अवश्य सुना होगा। इस जापानी साम्राज्यवाद के समर्थकों को जब ऐसा लगता था कि जिस फर्ज को उन्हें निभाना था, उसे निभा नहीं पाये; राष्ट्र के साथ, मिलिट्री के साथ गद्दारी की; तब वे अपने आप को सजा देते थे। यह 'डेडिकेशन' (निष्ठा) और 'डिसिप्लिन' (अनुशासन) की निशानी है। नाजियों की जीवन-गाथा पढ़ने से, उनके अनुशासन की कहानी पढ़ने से आप समझ पायेंगे कि यह एक प्रकार का अनुशासन है, एक प्रकार की 'मिलिटेन्सी' (जुझारू मानसिकता) है, जिसकी जरूरत प्रतिक्रियावादियों को भी होती है। जो लोग कुछ करना चाहते हैं, उन्हें इसकी जरूरत होती है। लेकिन जो इन सबसे बड़ी व महत्वपूर्ण बात है, वह यह है कि 'बेस पॉलिटिकल लाइन' (मूल राजनैतिक लाइन) सही है या नहीं? 'मेन पॉलिटिकल अप्रोच' (मूल राजनैतिक दृष्टिकोण) सही है या नहीं? जिस वस्तु का आप निर्माण करना चाहते हैं, 'ऑनेस्टी' (ईमानदारी) होते हुए भी अगर उसके संबंध में आपकी कोई सही विज्ञानसम्मत समझ न हो, तो आप उसका निर्माण नहीं कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मान लीजिए टिंचर आयोडीन तैयार करने के लिए जिन-जिन 'इन्ग्रीडीअन्ट्स' (उपादानों) को मिलाना पड़ता है, आपको उसकी जानकारी नहीं है। आप चूना, बालू और गिट्टी मिलाकर उसे तैयार करने के लिए कड़ी मेहनत कर सकते हैं, उपवास कर सकते हैं, यहां तक कि जान देने को भी तैयार हैं। चूंकि आप में निष्ठा और ईमानदारी की कोई कमी नहीं है, क्या मात्र इसलिए आप उसे तैयार कर पायेंगे? ईमानदारी, निष्ठा, एकाग्रता की जरूरत है, इसलिए मात्र इन्हीं 'क्वालिटी' (गुण) को मूलधन मानकर किसी मनगढ़ंत धारणा से क्या कोई टिंचर आयोडीन तैयार कर पायेगा? राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों में भी यह बात अत्यंत महत्वपूर्ण और जरूरी है। आप लोगों को समझना होगा कि भारत की यह क्रांति किस तरह की क्रांति है। भारत के आर्थिक शोषण का मूल कारण क्या है? इसकी राजसत्ता का चरित्र क्या है यानी किन-किन वर्गों ने इस पर कब्जा कर रखा है? जब तक इन सवालों पर स्पष्ट समझ नहीं बनेगी, तब तक हम क्रांति का मूल रास्ता, जिसे हम मूल रणनीति व रणकौशल कहते हैं, तय नहीं कर पायेंगे। यहां अगर कोई क्रांति के उद्देश्य से भी, लेकिन मनगढ़ंत सोच लेकर गलत सिद्धांत के आधार पर किसी पार्टी का गठन करे और लोगों की दु:ख-दुर्दशा के सवालों पर संघर्षों का संचालन करता रहे, तो वह कुछ दिनों के लिए लोगों को संगठित कर शायद एक ताकतवर पार्टी का भी निर्माण कर ले सकता है, लेकिन क्रांति नहीं कर सकता। उल्टे इसके जरिये लोगों में संघर्ष करने की जो चाह है, वह गलत रास्ते संचालित होने के फलस्वरूप क्रांतिकारी ताकत व्यर्थ हो जायेगी, जिसका नतीजा यह होगा कि पूंजीपति व प्रतिक्रियावादी मौके का फायदा उठाकर अपने को और भी ज्यादा ताकतवर बना लेंगे।''

('मजदूरों को सर्वहारा रुचि-संस्कृति से लैस करें' लेख से, चुनिन्दा रचनाएं भाग-3)

PRGI Regn. No. 43022

बांग्लादेश में धर्मनिरपेक्ष-जनवादी लोगों व संस्थानों पर कट्टरपंथी ताकतों द्वारा की जा रही भयानक हिंसा और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की निष्क्रियता के खिलाफ आवाज उठाएं

छात्र संगठन ऑल इण्डिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंटस ऑर्गेनाइजेशन (एआईडीएसओ) की केंद्रीय परिषद की ओर से अंतर्राष्ट्रीय मामलों के सचिव कॉमरेड मणिशंकर पट्टनायक ने 20 दिसम्बर को जारी प्रेस बयान में कहा:

बांग्लादेश में हाल ही में एक युवा राजनीतिक हस्ती, शरीफ उस्मान हादी की बेरहमी से हत्या ने देश में अशांति और हिंसक स्थिति पैदा कर दी है। बांग्लादेश की अंतरिम यूनुस सरकार की पूरी निष्क्रियता का फायदा उठाकर सांप्रदायिक ताकतों ने धार्मिक अल्पसंख्यकों, विरोधियों, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक सोच वाले नागरिकों, छायानट, उदिची जैसे प्रगतिशील सांस्कृतिक संस्थानों, यहां तक कि पूरे बांग्लादेश में अखबारों के दफ्तरों पर फासीवादी हमले किये गए हैं। शुरू से ही, देश की वामपंथी और जनवादी राजनीतिक ताकतों ने शरीफ उस्मान हादी की हत्या के लिए न्याय की मांग की थी। अब यह साफ है कि कट्टरपंथी और सांप्रदायिक ताकतें इन हिंसक गतिविधियों के जरिये न्याय की मांग को कमजोर करने और भटकाने की कोशिश कर रही हैं। यह हिंसा पूंजीवादी-साम्राज्यवादी हितों को साधने के लिए की जा रही है।

बांग्लादेश के शासक वर्ग ने बार-बार धर्मनिरपेक्ष सामाजिक चेतना को दबाने और खत्म करने की कोशिश की है। इन कोशिशों में कट्टरपंथी ताकतें सक्रिय रही हैं। बांग्लादेश के संघर्षरत लोगों ने बार-बार ऐसी साजिशों का विरोध किया है और कट्टरपंथी ताकतों के खिलाफ सतर्क रहे हैं।

भारत के लोकतांत्रिक, प्रगतिशील छात्र समुदाय की ओर से, हम बांग्लादेश में जारी सांप्रदायिक हिंसा का विरोध कर रहे संघर्षरत लोगों के साथ एकजुटता का इजहार करते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि वे सांप्रदायिक और कट्टरपंथी ताकतों की कोशिशों को हरा देंगे, जो पूंजीवादी-साम्राज्यवादी मंसूबों के मौजूदा सहयोगी हैं और मेहनतकश व शोषित जनता की एकता को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं।

खतरनाक परमाणु बिजली विधेयक का एआईयूटीयूसी ने किया विरोध

केन्द्रीय भाजपा सरकार के बीमा के निजीकरण विधेयक और परमाणु बिजली क्षेत्र के निजीकरण विधेयक का तीव्र विरोध जताते हुए एआईयूटीयूसी के महासचिव कॉमरेड शंकर दासगुप्ता ने 17 दिसम्बर को जारी एक प्रेस बयान में कहा कि बीमा क्षेत्र में 100 प्रतिशत पूंजीनिवेश की छूट देने के जरिये इस क्षेत्र में तमाम धन-सम्पदा पूंजीपतियों के हाथों में जमा हो जायेगी।

परमाणु बिजली के क्षेत्र में निजीकरण के मकसद से लाया गया 'शांति विधेयक-2025' इस खतरनाक क्षेत्र में दुर्घटना के जोखिम की भरपाई करने की जिम्मेदारी से देशी-विदेशी बड़े पूंजीपतियों को पूरी छूट देने की व्यवस्था की गयी है। परमाणु भट्ठी से रिसाव की स्थिति में होने वाली तबाही के जोखिम के खिलाफ अब तक जितना सरकारी नियंत्रण था, वह हटा लेने का कॉमरेड शंकर दासगुप्ता ने कड़ा विरोध किया।

उन्होंने इस विधेयक के खिलाफ जोरदार आन्दोलन खड़ा करने के लिए देश के सभी मजदूर-कर्मचारियों, ट्रेड यूनियनों और किसान संगठनों को आगे आने का आह्वान किया।

अमेरिकी साम्राज्यवादियों द्वारा वेनेजुएला पर किये गए सैन्य हमले की एसयूसीआई (सी) ने की कड़ी निंदा

एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) के महासचिव कॉमरेड प्रभास घोष ने 3 जनवरी को जारी बयान में कहा:

"वेनेजुएला पर जंगखोर अमेरिकी साम्राज्यवादियों द्वारा किये गए बेहद घृणित सैन्य हमले की जिन भी शब्दों में कड़ी निन्दा की जाए, वे कम हैं। यह हमला केवल वेनेजुएला पर ही नहीं, बल्कि पूरे लैटिन अमेरिका पर किया गया है, जिसका उद्देश्य वहां स्थित सभी देशों को बंदूक की नोक पर अधीन करना है।

यह स्थिति सभी साम्राज्यवाद-विरोधी, युद्ध-विरोधी और शांति-पसन्द लोगों से आग्रह करती है कि वे इस जघन्य हमले के खिलाफ तुरंत विरोध प्रदर्शन करें, पीड़ित वेनेजुएलावासियों के साथ खड़े हों और साम्राज्यवादी लुटेरों को लैटिन अमेरिका से पीछे हटने के लिए मजबूर करें।"

परमाणु ऊर्जा विधेयक-2025 का विरोध

24 दिसम्बर को कर्नाटक में काले परमाणु ऊर्जा बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। ऑल इण्डिया पावरमेंस फेडरेशन (एआईपीएफ)के अध्यक्ष कॉमरेड के. सोमाशेखर ने इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया।

एआईपीएफ के पूर्व समिति सदस्य कॉमरेड प्रमोद और एआईयूटीयूसी के राज्य उपाध्यक्ष कॉमरेड देवदास भी विरोध प्रदर्शन में मौजूद थे।

गिग व प्लेटफॉर्म वर्कर्स की देशव्यापी हड़ताल का एआईयूटीयूसी ने किया समर्थन

ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर (एआईयूटीयूसी) के महासचिव कॉमरेड शंकर दासगुप्ता ने इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप-बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स (आईएफएटी) के आह्वान पर गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स की देशव्यापी हड़ताल के बारे में 31 दिसम्बर को जारी प्रेस बयान में कहा:

"हम हड़ताली वर्कर्स की सभी जायज मांगों का पूरा समर्थन करते हैं, जैसे कि खतरनाक '10-मिनट' डिलीवरी मॉडल को तुरंत वापस लेना; सही; पारदर्शी और गारंटीशुदा न्यूनतम वेतन ढांचे के साथ-साथ तर्कसंगत प्रोत्साहन राशि देने की सही व्यवस्था; विश्राम के लिए जरूरी विराम और सही काम के घंटे; मनमाने ढंग से आईडी ब्लॉक करने, पेनल्टी लगाने और सस्पेंड करने पर रोक और शिकायत सुलझाने का इंतजाम; गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा, पेन्शन वगैरह सहित पूरी सामाजिक सुरक्षा कवरेज वाले वर्कर्स का दर्जा; जॉब सिक्योरिटी, काम की जगह पर इज्जत और सम्मान, वगैरह।

यह बड़ी चिंताजनक और रोषजनक बात है कि स्विगी, जोमैटो, जेप्टो, ब्लिंकिट, अमेजन, फ्लिपकार्ट वगैरह जैसे बड़े फूड डिलीवरी और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जुड़े गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को इन संग्राहक कंपनियों के मुनाफाखोर बिजनेस मॉडल की वजह से काम करने के तेजी से बिगड़ते हालात का सामना करना पड़ रहा है।

"गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स की जायज मांगों को पूरा करने में केंद्र और राज्य सरकारों के ढीलेढ़ाले रवैये की कड़ी निंदा करते हुए, हम संबंधित सरकारों से मांग करते हैं कि वे इन वर्कर्स की लंबे अर्से से चली आ रही समस्याओं को तुरंत हल करें और उनकी लंबे अर्से से लंबित मांगों को तुरंत पूरा करें।"

राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में टिब्बी स्थित एथनॉल फैक्ट्री के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चे द्वारा 17 दिसम्बर को आयोजित महापंचायत को एआईकेकेएमएस की ओर से सम्बोधित करते हुए कॉमरेड राजेन्द्र सिंह

संकल्प रैली ...

(पृष्ठ 6 का शेष)

ऐतिहासिक घटना के साक्षी थे। राज्य के कोने-कोने से पैदल कूच करने वाली महिलाएं सबसे पहले तीन अलग-अलग जगहों पर इकट्ठा हुईं। वहां से, तीन दिशाओं से तीन सजी-धजी रैलियां इस जगह पर ऐसे इकट्ठा हुईं मानो यह तीन उफनती नदियों का संगम हो।

बाकी सब कुछ थम गया था, लेकिन यह बहती, गरजती लहर थमने का नाम नहीं ले रही थी। सभी बातें बंद हो गई थीं, लेकिन नारों का यह समूहगान जारी था। देखो, मेरे देश के लोगों, इतिहास का यह कैसा पल है, जिसका गवाह बना है : सड़कों पर मौजूद लोगों और सड़कों के दोनों ओर खड़े श्रोताओं और दर्शकों के बीच एक साझा मकसद बन गया था। अदृश्य रूप से और चुपचाप अब दोनों एक साथ जुड़ गए थे। घंटों तक फंसे रहने की कठिनाई, मकसद की एकरूपता से पैदा हुई सहनशीलता में पिघल गई थी।

सुसज्जित मंच पर तीन घंटे के समापन कार्यक्रम के दौरान इस प्रभावशाली रैली के संयोजकों, जानी-मानी हस्तियों ने संक्षेप में सभा को संबोधित किया। इसके अलावा, विभिन्न समूहों ने प्रेरक गीत प्रस्तुत किये, नुक्कड़ नाटकों का मंचन किया और नृत्यों की प्रस्तुति दी।

'संकल्प रैली' की इन पैदल मार्च करने वालियों ने जनता के बीच एक नई उम्मीद जगायी, क्योंकि उन्होंने जो देखा वह एक असली जन संघर्ष था। सिर्फ इसी तरह से, मारपीट की शिकार औरतों की हाहाकार बंद हो सकती है, यौन-विकृत इन जंगली जानवरों की हवस पर लगाम लगायी जा सकती है, मासूम औरतों पर संवेदन-शून्य कायराना हिंसा की आग बुझ सकती है और आंखों पर पट्टी बांधे बैठी अंधी-बहरी सरकार और प्रशासन को कुछ सुधारात्मक कदम उठाने पर मजबूर किया जा सकता है।

हमारी पार्टी एसयूसीआई (सी) लंबे अर्से से दुखियारे नागरिकों को आगे आने, लामबंद करने, जन संघर्ष कमेटियां बनाने और जनजीवन के ज्वलंत मुद्दों पर जन आंदोलन की अगुआई करने के लिए कह रही है। इसलिए जनशक्ति के इस उभार ने हमें खुश किया है। हम ऐसे जन आंदोलन के उभरने का तहेदिल से समर्थन करते हैं, हम सच्ची ईमानदारी से चाहते हैं कि ऐसे आंदोलन निर्मित हों और लगातार चलें।

अंधेरे को मिटा दो, उजालों से
संदेशवाहकों, चले चलो, यहां से,
प्रज्वलित कर दो लाखों दिलों को
पूरे देश में, इस पार से उस पार।
सदियों से कुचली गई आत्माओ,
लब खोलो, उनसे कह दो,
हरगिज नहीं थमेगी यह लहर इस बार।

Printed and published by Com. Satyawan on behalf of the Central Committee of the Socialist Unity Centre of India (Communist) and printed at M/s Marutinandan Printers and Publishers, Shakti Complex,6/18, Sameypur Industrial Area, Delhi-110042 and published at 3A/38, WEA, Satnagar, Karol Bagh, New Delhi-110005.
Editor: Comrade Satyawan, Member, Central Committee, SUCI(C). **Phone No. : 9416763089, 9868350503** Email: **sarvaharadrishtikon@gmail.com**